

श्री गोपाल के. पिल्लई, विशेष सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दिनांक 8 अगस्त, 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

नए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव, श्री गोपाल के. पिल्लई की अध्यक्षता में दिनांक 08.08.2006 को प्रातः 10.30 बजे अनुमोदन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। प्रतिभागियों की एक सूची संलग्न है।

2. अध्यक्ष ने सेज अधिनियम के तहत गठित अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने राजस्व विभाग से सीबीईसी और सीबीडीटी का प्रतिनिधित्व करने वाले नए सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने तमिलनाडु में नोकिया और फ्लेक्सट्रॉनिक्स सेज की अपनी यात्रा के बारे में सदस्यों को अवगत कराया। सभापति महोदय ने अन्य सदस्यों को सूचित किया कि इस तरह की उच्च तकनीकी सुविधाएं इतने कम समय में भारत में नहीं आएंगी परंतु एसईजेड अधिनियम के तहत रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि एक बार पूरी तरह से कार्यशील हो जाने पर ये एसईजेड अकेले 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश लाएंगे और 50000 से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेंगे। तत्पश्चात अनुमोदन बोर्ड ने निम्नानुसार कार्यवृत्त की मर्दों पर विचार किया:

मद सं. 1: दिनांक 12.6.2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

यह नोट किया गया था कि केरल सरकार के अलावा और कहीं से कोई टिप्पणी नहीं मिली थी। केरल का। यह बताया गया कि किन्फरा प्रस्तावों में से एक पर एक निर्णय के संबंध में विसंगति इंगित की गई। बोर्ड ने यह टिप्पणी की कि उक्त प्रस्ताव को अलग से कार्यसूची में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। चूंकि कोई अन्य टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए बोर्ड ने दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

मद सं. 2: फ़ाइल पर लिए गए निर्णयों का अनुसमर्थन

(i) मैसर्स ईओन एमआईडीसी नॉलेज पार्क - खराड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी/आईटीईएस क्षेत्र के लिए खराड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना।

अध्यक्ष महोदय ने यह सूचित किया कि अनुमोदन बोर्ड की दिनांक 07.10.2015 को हुई बैठक में मैसर्स पंचशील प्रिमासेज (अब मैसर्स ईओन खराड़ी) को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था और जब यह मामला एसईजेड अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 17.03.2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुसमर्थन के लिए प्रस्ताव आया तो इस प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया क्योंकि राज्य सरकार के प्रतिनिधि नाम में भ्रम के कारण उक्त प्रस्ताव की जांच करने के लिए समय चाहते थे। तथापि, राज्य सरकार द्वारा बाद में यह सूचित किया गया कि कंपनी के नाम में परिवर्तन के कारण कुछ भ्रम की स्थिति विद्यमान थी तथा मैसर्स पंचशील प्रिमासेज जो अब मैसर्स ईओन खराड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, के लिए

की गई है। मूल सिफारिश सही प्रतीत होती है। चूंकि डेवलपर ने अनुरोध किया था कि प्रस्ताव का अनुसमर्थन शीघ्रतिशीघ्र किया जाए क्योंकि एसईजेड के सृजन के लिए जमीनी स्तर पर सब कुछ तैयार था और ग्राहक इंतजार कर रहे थे, इसलिए इस प्रस्ताव को वाणिज्य विभाग द्वारा मिसिल पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया और अनुमोदन बोर्ड का कार्योत्तर अनुमोदन प्रार्थित था।

तथापि, सीबीडीटी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इसका विरोध किया और यह तर्क दिया कि बोर्ड द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन का कोई प्रावधान नहीं है और वे सभी कागजातों का अध्ययन करना चाहेंगे और इसके पश्चात ही टिप्पणियां करेंगे। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि यह केवल उस प्रस्ताव के लिए था जहां कंपनी के नाम में परिवर्तन हुआ था और यह निर्णय केवल यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था कि किसी अतिरिक्त विलंब से परियोजना को किसी प्रकार का वित्तीय या अन् हानि नहीं होनी चाहिए क्योंकि डेवलपर पूर्व के अनुमोदनों के आधार पर कार्यान्वयन के अग्रिम चरणों में था। अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित किया कि यह प्रस्ताव केवल एसईजेड अधिनियम के लागू होने से पूर्व पहले से आवेदक को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन के अनुसमर्थन के लिए था। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने इस बात की भी पुष्टि की कि यह केवल नाम में परिवर्तन का मामला था। अनुमोदित क्षेत्र के साथ-साथ अनुमोदित क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। सदस्य, सीबीडीटी को इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र की प्रति भी दिखाई गई। चर्चा के उपरांत कार्योत्तर अनुमोदन जारी करने पर सहमति व्यक्त की गई। सदस्य, सीबीडीटी की टिप्पणी कि भावी मामलों में कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान नहीं किए जाने चाहिए, को भी नोट किया गया।

(ii) मैसर्स विप्रो लिमिटेड के मामले में प्राधिकृत कार्यकलाप

बोर्ड को यह सूचित किया गया कि **अनुलग्नक-I** में सूचीबद्ध 3 एसईजेड में प्राधिकृत कार्यकलापों के लिए मैसर्स विप्रो को अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा अनुमोदन बोर्ड का कार्योत्तर अनुमोदन प्रार्थित है। सदस्य सीबीडीटी ने सूचित किया कि उन्हें उक्त के लिए संगत दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे और वे डेवलपर-सह-डेवलपर करार की जांच करना चाहेंगे। यह सूचित किया गया कि इस मामले में कोई सह-डेवलपर नहीं केवल तथा डेवलपर ही प्राधिकृत कार्यकलापोंको निष्पादित करने के लिए अनुमोदन मांग रहे थे जिनके ब्यौरे एजेंडा के साथ पहले ही संलग्न कर दिए गए थे तथा उन्हें बैठक के लिए परिचालित कर दिया गया था। बोर्ड ने मिसिल पर लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया।

(iii) मैसर्स हरियाणा टेक्नोलॉजी पार्क के लिए आईटी/आईटीईएस हेतु एक क्षेत्र-विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना

बोर्ड को यह सूचित किया गया कि मैसर्स हरियाणा टेक्नोलॉजी पार्क को आईटी एसईजेड की स्थापना करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। डेवलपर ने अपने मूल

आवेदन में आईटी/आईटीईएस एसईजेड के लिए अनुमोदन हेतु अनुरोध किया था और डेवलपर के अनुरोध के अनुसार मिसिल पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। बोर्ड में मिसिल पर लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया।

मद सं. 3: सह-डेवलपर्स और उनकी अधिकृत गतिविधियाँ

(i) 20.235 हेक्टेयर क्षेत्र पर ईएलसीओटी के सह-डेवलपर के रूप में नियुक्त करने के लिए एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का अनुरोध।

सीबीडीटी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने बताया कि उन्हें इसके लिए संबंधित कागजात नहीं मिले हैं और वे डेवलपर-सह-डेवलपर समझौते की जांच करना चाहते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि एजेंडा में इन सभी वस्तुओं को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। यह सूचित किया गया कि इस मामले में 152.66 हेक्टेयर क्षेत्र में शोलिंगनन्नूर, चेन्नै, तमिलनाडु में आईटी/आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए तमिलनाडु के मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन (तमिलनाडु सरकार का एक उद्यम) को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने उक्त क्षेत्र में 20.235 हेक्टेयर क्षेत्र को दर्शाते हुए सह-डेवलपर के स्तर के लिए आवेदन करते हुए एक आवेदन दिया है। यह स्पष्ट किया गया था कि डेवलपर एक राज्य सरकार का उद्यम है और उन्होंने प्रस्तावित एसईजेड में क्षेत्र के एक भाग के लिए सह-डेवलपर के रूप में नियुक्त करने के लिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज की नियुक्ति का अनुरोध किया था। बोर्ड ने अनुरोध के अनुसार मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज को सह-डेवलपर का दर्जा देने का फैसला किया।

(ii) मैसर्स अदानी पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुंद्रा एसईजेड के संबंध में अधिकृत संचालन को मंजूरी देने का अनुरोध:

सीबीडीटी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने फिर से इस आधार पर आपत्ति जताई कि उन्हें डेवलपर-सह-डेवलपर समझौता नहीं मिला है। उन्होंने यह अनुरोध किया कि एजेंडा में इन सभी वस्तुओं को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। यह बताया गया कि 17.03.2006 को आयोजित एसईजेड बोर्ड की पहली बैठक में मैसर्स अदानी पावर लिमिटेड को सह-डेवलपर के रूप में अनुमोदित किया गया था और यह कि वर्तमान अनुरोध केवल उनके अधिकृत संचालन की मंजूरी के लिए था जो कि पहले से ही सूचीबद्ध और एजेंडा के साथ परिचालित कर दिया गया था। सीबीडीटी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने हालांकि कहा कि यह एजेंडा आइटम किसी अन्य एजेंडा आइटम 5 (V) से जुड़ा हुआ है और इसे केवल तभी माना जाना चाहिए जब पावर सेक्टर के विशिष्ट एसईजेड को मंजूरी देने संबंधी अनुरोध पर विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि पावर प्लांट को मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड में भी स्थापित किया जा सकता है और दोनों अनुरोध स्वतंत्र हैं। सीबीडीटी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, हालांकि, यह स्वीकार करते

हैं कि इस अनुमोदन के आधार पर सह-डेवलपर संचालन कर सकता है और यह एक दायित्व बन सकता है यदि डेवलपर अपेक्षित भूमि प्राप्त करने में सफल नहीं होता है और एसईजेड को अधिसूचित करने में विफल रहता है। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि अधिनियम के तहत कोई भी लाभ सेज अधिसूचना जारी होने के बाद ही सेज को मिलेगा। तब तक एसईजेड अधिनियम, 2005 में प्रदान की गई रियायतें उपलब्ध नहीं हैं। अध्यक्ष ने इस सुझाव पर सहमति व्यक्त की कि अनुमति पत्र में ऐसी शर्त स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। सदस्य सीबीईसी ने आगे बिजली एसईजेड आदि के आकार और क्षमता का मुद्दा उठाया और उन्हें यह सूचित किया गया कि युनिट अनुमोदन समिति द्वारा इस पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया था कि पावर प्लांट स्थापित करना संबंधित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होता है। विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि बिजली के प्रसारण और वितरण के लिए सह-डेवलपर द्वारा आवश्यक अनुमति लेनी होगी। अन्य सांविधिक आवश्यकताओं के बाद सह-डेवलपर के लिए इन चर्चाओं और विषय के आधार पर बोर्ड ने अनुलग्नक -2 में दी गई गतिविधियों को मंजूरी दे दी।

(iii) मैसर्स बायोकॉन लिमिटेड के संबंध में अधिकृत संचालन की मंजूरी के लिए अनुरोध:

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक-3 में दिया गया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(iv) सेसना गार्डन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में अधिकृत कार्यों के अनुमोदन के लिए अनुरोध

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक-4 में दिया गया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(v) सीएमसी लिमिटेड, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के संबंध में अधिकृत कार्यों के अनुमोदन के लिए अनुरोध

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक-5 में दिया गया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(vi) हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के संबंध में अधिकृत संचालन के अनुमोदन के लिए अनुरोध

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक-6 में दिया गया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(vii) मान्याता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूर, कर्नाटक के संबंध में अधिकृत कार्यों के अनुमोदन के लिए अनुरोध

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक-7 में दिया गया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

(viii) श्यामराजू एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, कर्नाटक के संबंध में अधिकृत कार्यों के अनुमोदन के लिए अनुरोध

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक-8 में दिया गया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(ix) सिंटेल् इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (चेन्नै), तमिलनाडु के संबंध में अधिकृत कार्यों के अनुमोदन के लिए अनुरोध

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक-9 में दिया गया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(x) सिंटेल् इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (पुणे), महाराष्ट्र के संबंध में अधिकृत कार्यों के अनुमोदन के लिए अनुरोध

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक-10 में दिया गया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(xi) टैंग्लिन डेवलपमेंट्स लिमिटेड, बेंगलूर, कर्नाटक के संबंध में अधिकृत कार्यों के अनुमोदन के लिए अनुरोध

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक-11 में दिया गया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(xii) ईओएन खराड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, खराड़ी, पुणे के संबंध में अधिकृत संचालन की मंजूरी के लिए अनुरोध

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक-12 में दिया गया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(xiii) डीएलएफ इंफोसिटी (चेन्नै) लिमिटेड, चेन्नै, तमिलनाडु के संबंध में अधिकृत कार्यों के अनुमोदन के लिए अनुरोध

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक-13 में दिया गया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(xiv) डीएलएफ इंफोसिटी डेवलपर्स (कोलकाता) लिमिटेड के संबंध में अधिकृत संचालन के अनुमोदन के लिए अनुरोध।

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक-14 में दिया गया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(xv) हरियाणा प्रौद्योगिकी पार्क, फरीदाबाद, हरियाणा के संबंध में अधिकृत कार्यों के अनुमोदन के लिए अनुरोध

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक -15 में दिया गया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(xvi) हेवलेट पैकड इंडिया सॉफ्टवेयर ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, कर्नाटक के संबंध में अधिकृत कार्यों के अनुमोदन के लिए अनुरोध

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक-16 में दिया गया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(xvii) डीएलएफ आकृति इंफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र के संबंध में अधिकृत अधिकृत संचालन के लिए अनुरोध

यह नोट किया गया था कि एसईजेड की स्थापना के लिए उनका आवेदन कार्यवृत्त में सूचीबद्ध है और जब तक एसईजेड की मंजूरी नहीं मिलती है, तब तक अधिकृत गतिविधियों की मंजूरी समय-पूर्व दी गई मंजूरी होगी। महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ने डीएलएफ आकृति इन्फो पार्क्स के आवेदन को स्थगित करने का भी अनुरोध किया। बोर्ड ने तदनुसार अनुलग्नक-17 में अधिकृत गतिविधियों के विचार को स्थगित करने का निर्णय लिया।

मद सं. 3 के तहत अनुपूरक कार्यसूची:

(xviii) गुड़गांव (हरियाणा) में मैसर्स उप्पल हाउसिंग लिमिटेड एसईजेड के संबंध में अधिकृत कार्यों के अनुमोदन के लिए अनुरोध

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक-18 में दिया गया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(xix) मैसर्स रैमकी फार्मा सिटी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल एसईजेड के संबंध में अधिकृत संचालन के अनुमोदन के लिए अनुरोध।

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक-19 में दिया गया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(xx) मैसर्स क्वार्क सिटी इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा पंजाब के मोहाली में आईटी एसईजेड में अधिकृत संचालन के अनुमोदन के लिए अनुरोध।

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक-20 में दिया गया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(xxi) मैसर्स श्रीराम प्रॉपर्टीज लिमिटेड द्वारा चेन्नै, तमिलनाडु में आईटी एसईजेड में अधिकृत संचालन के अनुमोदन के लिए अनुरोध।

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक-21 में दिया गया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(xxii) मैसर्स फैब सिटी एसपीवी द्वारा हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में क्षेत्र विशिष्ट और एफटीडब्ल्यूजेड में अधिकृत संचालन की मंजूरी के लिए अनुरोध

आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि इस प्रस्ताव के लिए दूसरे अनुमोदन बोर्ड के कार्यवृत्त को गलत तरीके से दर्ज किया गया था क्योंकि यह अनुरोध एफटीडब्ल्यूजेड के साथ-साथ एक सेक्टर विशिष्ट एसईजेड के लिए था न कि अकेले एफटीडब्ल्यूजेड के लिए, जैसा कि रिकॉर्ड किया गया था। यह सूचित किया गया कि आवश्यक सुधार कर दिए गए हैं और क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड तथा उसके अंतर्गत एफटीडब्ल्यूजेड के लिए एलओए जारी कर दिया गया है। प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक-22 में दिया गया है, तब बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(xxiii) मैसर्स मेडिकैप्स आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी एसईजेड में अधिकृत संचालन के अनुमोदन के लिए अनुरोध

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक-23 में दिया गया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(xxiv) मैसर्स सिप्काॅट द्वारा श्रीपेरंबुदूर, चेन्नई, तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक/टेलीकॉम हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत संचालन के अनुमोदन के लिए अनुरोध।

प्राधिकृत संचालन, जैसा कि अनुलग्नक-24 में दिया गया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

मद सं. 4: एसईजेड की अधिसूचनाओं की प्रगति (सूचना के लिए)

सीबीडीटी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने एक विचार व्यक्त किया कि सभी सदस्यों के अनुमोदन के लिए मसौदा अधिसूचनाओं को बोर्ड की बैठकों में लाया जाना चाहिए ताकि वे उसकी जांच कर सकें। यह महसूस किया गया कि इसका कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि औपचारिक अनुमोदन के पश्चात डेवलपर केवल वाणिज्य विभाग, जो एसईजेड अधिनियम, 2005 के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है, को भूमि संबंधी विवरण प्रस्तुत करता है। बोर्ड ने तब अधिसूचनाओं की प्रगति पर टिप्पणी की। बोर्ड ने यह भी विचार व्यक्त किया कि डेवलपर्स को अधिसूचनाओं के लिए भूमि का विवरण प्रस्तुत करने के बारे में कार्रवाई तेज करने और परियोजनाओं को लागू करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा जाना चाहिए।

इसे नोट कर लिया गया। अध्यक्ष, अनुमोदन बोर्ड ने अधिसूचना के लिए आवेदन की प्राप्ति में देरी का उल्लेख किया और राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे राजस्व अधिकारियों द्वारा भूमि के विवरण की मंजूरी में तेजी लाएं ताकि अनुमोदित सेज को तत्काल अधिसूचित किया जा सके।

मद सं. 5: मौजूदा/अनुमोदित एसईजेड से संबंधित संशोधन/अन्य अनुरोध

(i) मैसर्स जुबिलेंट ऑर्गेनोसिस लिमिटेड का अपने फार्मास्यूटिकल्स एसईजेड के क्षेत्र को कम करके उसे 160 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर करने का अनुरोध

सीबीडीटी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने विचार व्यक्त किया कि क्षेत्र में कटौती की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि अनुमोदन के समय प्रस्तावित क्षेत्र को न्यूनतम विनिर्धारित क्षेत्र से अधिक होने के संबंध में विशेष महत्व दिया जाएगा। उन्होंने इसे आस्थगित करने का अनुरोध किया और पूछा कि क्या प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज सीबीडीटी को मामले में विचार करने के लिए प्रदान किए जाने चाहिए।

यह सूचित किया गया कि मैसर्स जुबिलेंट ऑर्गेनोसिस लिमिटेड ने भरूच, गुजरात में रसायन और फार्मास्यूटिकल्स के लिए 160 हेक्टेयर के क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। दिनांक 17.03.2006 को हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था और बोर्ड द्वारा 160 हेक्टेयर क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक विशेष क्षेत्र एसईजेड की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी क्योंकि बोर्ड का मानना था कि फार्मास्यूटिकल्स और रसायन दो अलग-अलग क्षेत्र हैं। आगे यह सूचित किया गया कि डेवलपर ने अब अलग से या एक रसायन क्षेत्र के विशिष्ट एसईजेड को लागू किया है और इसलिए उन्होंने अपने फार्मास्यूटिकल्स एसईजेड के क्षेत्र को 160 हेक्टेयर से घटाकर 100 हेक्टेयर तक करने की मांग की है। बोर्ड ने विचार के बाद क्षेत्र में कमी के उनके अनुरोध को स्वीकार करने का फैसला किया।

(ii) मैसर्स आईटी/आईटीईएस एसईजेड के लिए क्षेत्र को 24.51 हेक्टेयर से बढ़ाकर 27.91 हेक्टेयर करने के लिए आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स लिमि. का अनुरोध।

बोर्ड ने क्षेत्र में परिवर्तन करते हुए उसे 24.792 हेक्टेयर से 27.91 हेक्टेयर करने के संबंध में मंजूरी दी।

(iii) मैसर्स सिन्टेल इंटरनेशनल प्रा.लिमि. का चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी/आईटीईएस के लिए क्षेत्रफल को 11 हेक्टेयर से बढ़ाकर 11.74 हेक्टेयर करने के संबंध में अनुरोध।

बोर्ड ने क्षेत्रफल में परिवर्तन करते हुए उसे 11 हेक्टेयर से 11.74 हेक्टेयर करने के संबंध में मंजूरी दी।

(iv) कांडला एसईजेड में प्लास्टिक इकाइयों के एलओपी का विस्तार।

यह सूचित किया गया कि एसईजेड नियमावली, 2006 में यह प्रावधान है कि प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाइयों के विस्तार के मामलों पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामले-दर-मामले आधार

पर विचार किया जाएगा। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड द्वारा लंबित निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक इकाइयों को छह महीने के लिए एक बार और तीन महीने के लिए दो बार तदर्थ विस्तार प्रदान किया गया है। वर्तमान विस्तार दिनांक 31.10.2006 तक मान्य है। आगे यह सूचित किया गया है कि चूंकि कोई भी उद्योग तदर्थ विस्तार पर काम नहीं कर सकता है, इसलिए इस मामले में एक अंतिम दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

सदस्य सीबीईसी का यह मत था कि पर्यावरणीय मानदंडों का पालन न करने से संबंधित कई मुद्दे सामने आते रहते हैं और इन इकाइयों के पास कोई निर्यात क्षमता नहीं है और इसलिए एसईजेड योजना के तहत इन इकाइयों को जारी रखने की अनुमति नहीं है। हालांकि यह सूचित किया गया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में मार्च 1998 में निर्यात संवर्धन बोर्ड द्वारा बहुत से मुद्दों पर विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि किसी भी नई इकाइयों को ईपीजेड और ईओयू में सेटअप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डीजीएफटी ने रसायन और पेट्रोकेमिकल्स मंत्रालय और पर्यावरण और वन मंत्रालय के परामर्श से भी इन आभावों को अभिशासित करने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो सार्वजनिक सूचना 392 (92-97) दिनांक 01.01.1997 के तहत है तथा जो एसईजेड इकाइयों पर भी बाध्यकारी हैं। आगे यह भी सूचित किया गया कि इन एसईजेड इकाइयों द्वारा आयात एसईजेड नीति के "गैर नियमित जांच" मानदंड के लिए पात्र नहीं है और उनकी निर्धारित रूप में जांच की जाती है। यह भी सूचित किया गया कि इन इकाइयों के तैयार उत्पाद (मुख्य रूप से एग्लोमेरेट्स और पुनर्नवीनीकरण कणिकाओं) का स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है और डीटीए की मंजूरी पर पूर्ण आयात शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। बोर्ड को आगे सूचित किया गया था कि भारत में स्थापित की जा रही इन इकाइयों से पहले इन सामानों को दुबई से तैयार रूप में आयात किया जा रहा था। मूल्यवर्धन, 5000 से अधिक लोगों के रोजगार और परिणामी लाभ अब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हैं।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने इन एलओपी के विस्तार को इस शर्त के अधीन 5 साल के लिए देने का निर्णय लिया कि ये सभी इकाइयाँ सभी आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करेंगी और उनके आयात को डीजीएफटी सार्वजनिक सूचना 392 दिनांक 01.01.1997 के प्रावधानों द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा।

(v) पावर सेक्टर के विशिष्ट एसईजेड के रूप में मुंद्रा एसईजेड के एक हिस्से को सूचित करने का अनुरोध।

बोर्ड ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और निर्णय लिया कि डेवलपर यदि चाहे तो उसे नए पावर सेक्टर के विशिष्ट एसईजेड के लिए नए सिरे से आवेदन करने के लिए कहा जा सकता है।

(vi) मैसर्स के.रहेजा आईटी पार्क (हैदराबाद) प्रा. लिमिटेड का क्षेत्र को 12 हेक्टेयर से बढ़ाकर 16.29 हेक्टेयर करने के लिए अनुरोध।

बोर्ड ने 12 हेक्टेयर से 16.29 हेक्टेयर क्षेत्र में परिवर्तन को मंजूरी दी।

(vii) आईटी/आईटीईएस एसईजेड के लिए अपने तीन प्रस्तावों को वापस लेने/एकीकरण के लिए मुत्था समूह का प्रस्ताव:

बोर्ड ने कोथुड, पुणे में कोथुड इंटीग्रेटेड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में प्रस्ताव वापस लेने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। बोर्ड ने अन्य दो अनुप्रयोगों के संयोजन के लिए उनके अनुरोध पर विचार किया और पाया कि वे सुमेलित नहीं हैं और एसईजेड अधिनियम, 2005 और उसके तहत बनाए गए नियम एक सेज में गैर-सुमेलित क्षेत्रों के अनुमोदन का प्रावधान नहीं करते हैं। तदनुसार बोर्ड ने इन प्रस्तावों पर विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(viii) एसईजेड का क्षेत्र 20.53 हेक्टेयर से बढ़ाकर 27.74 हेक्टेयर करने के लिए एपीआईआईसी से अनुरोध।

बोर्ड ने क्षेत्र में परिवर्तन करते हुए उसे 20.53 हेक्टेयर से 27.74 हेक्टेयर करने को मंजूरी दी।

(ix) कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र को अधिसूचित करना।

यह सूचित किया गया कि कांडला एसईजेड केंद्र सरकार द्वारा 1965 में स्थापित सबसे पुराना जोन है और अब एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रावधानों के तहत 271.75 एकड़ तक विस्तार की मांग कर रहा है। बोर्ड ने आगे यह सूचित किया कि एक मौजूदा सार्वजनिक सड़क है (1965 से पहले बनाई गई) जो दो क्षेत्रों को विभाजित करती है और विकास आयुक्त कांडला एसईजेड ने अनुरोध किया है कि बीओए इस तथ्य को देखते हुए कि इस सरकारी एसईजेड को 1965 में बनाया गया है नए क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए चाहरदीवारी पहले ही बनाई जा चुकी है।

तथापि, सीबीईसी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने संगतता के आधारों पर प्रस्ताव पर आपत्ति जताई और यह विचार व्यक्त किया कि जब तक इन क्षेत्रों को सुमेलित नहीं किया जाता, तब तक विस्तार की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। विकास आयुक्त केएसईजेड द्वारा यह दी गई कि सड़क के दोनों ओर चाहरदीवारी बनाई गई है और यह एक सार्वजनिक सड़क होने के नाते, कनेक्टिविटी केवल एक ओवर ब्रिज द्वारा प्रदान की जा सकती है जिसकी लागत लगभग 7 करोड़ रु. हो सकती है। जिसके लिए केएसईजेड द्वारा सरकार को पहले ही एक प्रस्ताव भेजा जा चुका है। सीबीईसी के प्रतिनिधि ने हालांकि, इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई और बताया कि इस तरह के ओवर ब्रिज के लिए कर और रियायतें नहीं बढ़ाई जा सकती हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि यदि अनुमोदन प्रदान किया जाना है, तो यह इस शर्त के अधीन होना चाहिए कि कांडला

एसईजेड दो भागों को जोड़ने के लिए किए गए ओवर ब्रिज निर्माण कार्य के लिए कर और शुल्क रियायतों के लिए पात्र नहीं होगा।

बोर्ड ने एसईजेड नियमों के नियम 5 के उप-नियम (2) के खंड (क) के अनुसार तीसरे परंतुक के प्रावधानों के तहत कांडला एसईजेड के अनुरोध पर विचार किया और तदनुसार एसईजेड अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत क्षेत्र के विस्तार के लिए मंजूरी दे दी जो इस शर्त के अधीन है कि दो भागों को जोड़ने के लिए किए गए ओवर ब्रिज निर्माण कार्य के लिए कांडला एसईजेड टैक्स और शुल्क रियायतों के लिए पात्र नहीं होगा।

(X) 74 हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र में क्षेत्र विशेष सेज स्थापित करने की अनुमति के लिए मैसर्स गुजरात हीरा बाउर्स का अनुरोध।

यह सूचित किया गया कि डेवलपर ने इस एसईजेड की स्थापना के लिए केवल 74.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर आवेदन किया था, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता पर आपत्ति जताए जाने के बाद से यह मंजूरी 100 हेक्टेयर के लिए दी गई थी। चूंकि अब अधिकारप्राप्त मंत्रियों के समूह ने रत्न और आभूषण क्षेत्र के विशिष्ट एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को मंजूरी दे दी है क्योंकि 10 हेक्टेयर का क्षेत्र 50000 वर्ग मीटर के न्यूनतम निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र के साथ है, उन्होंने इस क्षेत्र को 100.00 हेक्टेयर से घटाकर 74.00 हेक्टेयर करने का अनुरोध किया है।

बोर्ड ने 50000 वर्ग मीटर के न्यूनतम निर्मित क्षेत्र के साथ क्षेत्र को कम करते हुए उसे 100 हेक्टेयर से 74 हेक्टेयर तक करने की मंजूरी दी।

(xi) एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एसईजेड स्थापित करने के लिए आवेदन वापस लेना

बोर्ड ने हरियाणा के बाँस हरिया में मैसर्स एमार एमजीएफ प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड को दी गई सैद्धांतिक मंजूरी रद्द कर दी।

(xii) मैसर्स मिशनफर्मा लॉजिस्टिक्स, कांडला एसईजेड में एक इकाई के एलओपी का विस्तार।

बोर्ड ने यह मत व्यक्त किया कि विकास आयुक्त इस संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं। विकास आयुक्त ने एजेंडा मद को वापस लेने का अनुरोध किया जिसे बोर्ड ने अनुमति दी थी।

मद सं. 5 के तहत अनुपूरक एजेंडा:

(xiii) गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड (जीएपीएल) से सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह की चोरी को रोकने तथा अतिरिक्त क्षेत्र को अधिसूचित करने हेतु अनुरोध।

इस प्रस्ताव को बोर्ड ने आस्थगित कर दिया।

(xiv) रेलवे लाइन भूमि के दोनों ओर एमएसईजेडएल से पट्टे पर भूमि लेकर जीएपीएल एसईजेड क्षेत्र का विस्तार।

इस प्रस्ताव को बोर्ड ने आस्थगित कर दिया।

(xv) गुजरात के मुंद्रा में बहु उत्पाद एसईजेड में एफटीडब्ल्यूजेड के रूप में एक क्षेत्र के सीमांकन के लिए मैसर्स जीएपीएल का अनुरोध।

इस प्रस्ताव को बोर्ड ने आस्थगित कर दिया।

(xvi) मुंबई इंटीग्रेटेड एसईजेड लिमिटेड का 3 साल अर्थात 7 अगस्त, 2009 तक के लिए वैधता अवधि के विस्तार हेतु और डेवलपर के नाम में परिवर्तन हेतु अनुरोध।

बोर्ड ने 07.08.2006 के पश्चात सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि के विस्तार के अनुरोध पर चर्चा की। सदस्यों ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि तीन साल पहले दी गई मंजूरी के बाद से बहुत प्रगति नहीं हुई है। यह भी बताया गया कि परियोजना के लिए भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण के खिलाफ कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। बोर्ड की राय थी कि प्रस्तावित क्षेत्र में कमी पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया था कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने इस मुद्दे पर विस्तृत विचार-विमर्श किया था और संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र के लिए अधिग्रहण हेतु नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के उलटफेर का परिणाम अनिश्चित कानूनी स्थिति की ओर ले जाएगा। जहां तक स्वामित्व में परिवर्तन का संबंध है, यह उल्लेख किया गया कि नई कंपनी में, मैसर्स रिलायंस ग्रुप के पास बहुसंख्यक शेयर धारक हैं। आगे यह उल्लेख किया गया कि रिलायंस समूह की वित्तीय सुदृढ़ता सुस्थापित है।

तदनुसार, बोर्ड ने डेवलपर को दी गई सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि को इस निर्देश के साथ एक वर्ष यानी 7 अगस्त 2007 तक बढ़ाने का निर्णय लिया कि आवश्यक होने पर डेवलपर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों के विवरण के साथ आगे के समय-सीमा विस्तार पर विचार करने के लिए आवेदन कर सकता है। बोर्ड 10,000 हेक्टेयर के इतने बड़े क्षेत्र के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार के ही समान अधिग्रहित किए जाने वाले क्षेत्र की सीमा के विस्तार की समीक्षा कर सकता है। ताकि, प्रभावित भूस्वामियों को कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े। बोर्ड ने कंपनी के नाम में परिवर्तन के कारण डेवलपर का नाम मैसर्स गुजरात पोजिट्रा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से बदलकर “मुंबई एसईजेड लिमिटेड” करने पर भी अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद संख्या 6

इसके बाद बोर्ड ने विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के सभी प्रस्तावों पर विचार किया, जिन्हें कार्यसूची के अनुलग्नक 6 क से 6 च में सूचीबद्ध किया गया था।

हालांकि, इस स्तर पर राजस्व विभाग में सीबीडीटी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने तर्क दिया कि "औपचारिक" और "सैद्धांतिक रूप में" अनुमोदन में कोई अंतर नहीं है और इस तरह के कुल 185 अनुमोदन पहले ही बोर्ड द्वारा दिए जा चुके हैं, जिनमें सैद्धांतिक अनुमोदन शामिल हैं, के अलावा कोई और अनुमोदन नहीं किया जाना चाहिए। उक्त सदस्य ने तर्क दिया कि एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 3 (7) के अनुसार सैद्धांतिक और औपचारिक अनुमोदन के बीच कोई अंतर नहीं है। अध्यक्ष ने बोर्ड की पहली बैठक की कार्यवाही पर अपना ध्यान आकर्षित किया जब बोर्ड द्वारा व्यापक रूप से अनुमोदित एसईजेड की स्थापना के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए प्रक्रिया पर चर्चा की गई थी और उसे अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह सूचित किया गया कि उक्त प्रक्रिया जिसे अनुमोदन बोर्ड की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त के अनुलग्नक के रूप में परिचालित किया गया था, के बिंदु सं. 7 में यह निर्णय लिया गया था कि

“ऐसी जगह पर एसईजेड की स्थापना के लिए प्रस्ताव, जहां भूमि डेवलपर के कब्जे में नहीं है, पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा केवल सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा। डेवलपर को भूमि के अधिग्रहण या उसका पट्टा प्राप्त करने के बाद अनुमोदन बोर्ड को उसका ब्यौरा मुहैया कराना होगा। डेवलपर द्वारा प्रदान किए जा रहे ऐसे ब्यौरों के परिणामस्वरूप प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड द्वारा अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा।”

इस चरण में एक प्रतिनिधि द्वारा यह सुझाव दिया गया कि सभी सैद्धांतिक एलओए धारकों को एक नोटिस दिया जाए ताकि वे 2 सप्ताह के भीतर भूमि अधिग्रहण का कार्य संपन्न कर सकें, ऐसा नहीं करने पर उनका सैद्धांतिक अनुमोदन रद्द कर दिया जाना चाहिए। तथापि, अधिकांश सदस्यों की यह राय थी कि भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यप्रणाली की अपनी समय-सीमा है तथा इसमें भूमि अधिग्रहण का कार्य संपन्न करने के लिए सामान्य रूप से 6-18 महीने का समय लगता है। प्रत्येक राज्य सरकार की भूमि आवंटन तथा कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में रूपांतरण/औद्योगिक प्रयोजनों के संबंध में अपनी नीतियां हैं। इसलिए यह महसूस किया गया कि डीओसी सैद्धांतिक अनुमतिधारकों को भूमि अधिग्रहण/खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु पत्र लिखे तथा इसकी डीओसी द्वारा बारीकी से निगरानी की जाए।

तथापि, इस चरण में सीबीडीटी के प्रतिनिधित्व सदस्य ने यह तर्क दिया कि किसी भी प्रकार का नया अनुमोदन अधिकारप्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) द्वारा निर्धारित उच्चतम अनुमोदन सीमा का उल्लंघन होगा। उसके पश्चात अनुमोदन बोर्ड के अध्यक्ष ने बोर्ड के ध्यानाकर्षण में दिनांक 06.06.2006 को आयोजित ईजीओएम की दूसरी बैठक की कार्यवृत्त का उल्लेख किया जिसमें यह निदेश दिया था कि:

"(iii) एसईजेड अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अंतिम रूप से अनुमोदन प्रदान किए गए एसईजेड की कुल संख्या को प्रारंभ में 150 तक सीमित किया जाए (एसईजेड अधिनियम के अंतर्गत पहले से प्रदान किए गए अंतिम अनुमोदनों सहित तथा दिनांक 10 फरवरी, 2006 से पहले स्थापित एसईजेड को छोड़कर)। इस स्थिति की ईजीओएम द्वारा बाद में समीक्षा की जाएगी। यह दिशानिर्देश अनुमोदन बोर्ड के आंतरिक प्रयोग के लिए है।"

अध्यक्ष महोदय ने आगे बोर्ड सदस्यों को यह सूचित किया कि सैद्धांतिक अनुमोदन, औपचारिक अनुमोदन सहित अनुमोदनों के विभिन्न चरणों तथा उसके पश्चात अधिसूचना जारी करने की संपूर्ण प्रक्रिया पर ईजीओएम में विचार किया गया था और ईजीओएम को यह सूचित किया गया कि उस समय तक अंतिम रूप से केवल 4 एसईजेड अधिसूचित किए गए थे। इस संदर्भ में ईजीओएम ने "अंतिम अनुमोदन" पद का प्रयोग वास्तविक रूप से अधिसूचनाओं के संदर्भ में करने का निर्णय लिया और प्रारंभ में अनुमोदनों को 150 तक सीमित रखने का भी निर्णय लिया।

तब सदस्य, सीबीडीटी ने गैर-प्रतिनिधित्व वाले राज्यों तथा औद्योगिक क्षेत्रों को दिए जाने वाले महत्व के संदर्भ में ईजीओएम के निदेशों के संबंधित मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने बोर्ड को यह सूचित किया कि इन निदेशों का उल्लेख ईजीओएम की क्रमशः 10.05.2006 और 06.06.2006 को आयोजित ईजीओएम की दो बैठकों में से किसी भी बैठक के कार्यवृत्त में उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि, उन्होंने बोर्ड को यह सूचित किया कि कार्यसूची के अनुलग्नक-6 च वास्तविक रूप में गैर-प्रतिनिधित्व वाले राज्यों और क्षेत्रों के प्राप्त प्रस्तावों के लिए है। अध्यक्ष महोदय ने आगे बोर्ड को यह सूचित किया कि बोर्ड को व्यापक रूप से इन्फोसिस, विप्रो अथवा ऐसी कंपनियों जिनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शामिल हैं तथा जिनके बड़े-बड़े ग्राहक हैं जैसी स्थापित कंपनियों के लिए वरियता प्रदान करने का सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने आगे बोर्ड को आगे यह सुझाव दिया कि चूंकि आईटी/आईटीईएस क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को अब तक 66 औपचारिक अनुमोदन पहले ही प्रदान किए जा चुके थे, इसलिए बोर्ड आईटी क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले अनुमोदनों को 150 अनुमोदनों की उच्चतम सीमा 50% अर्थात् 75 मामलों तक के लिए सीमित करने पर विचार कर सकता है। डेवलपर की वित्तीय स्थिति तथा राज्य सरकार की अनुशंसा को भी ध्यान में रखा जाएगा। तथापि, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने कुल संख्या तथा आईटी एसईजेड की संख्या पर किसी भी प्रकार की उच्चतम सीमा के संबंध में कड़ी आपत्तियां जाहिर कीं। हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने यह तर्क दिया कि आईटी क्षेत्र में 40% का विकास दर्शाया जा रहा है तथा एसईजेड अधिनियम में अनुमोदनों संख्या आदि पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का कोई प्रावधान नहीं है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु सरकार, कर्नाटक सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने उनके विचारों का समर्थन किया। इसके पश्चात इन मामलों को कार्यसूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

बोर्ड ने निम्नलिखित मामला दर मामला सिफारिशों की तथा यह सुनिश्चित किया कि 150 औपचारिक अनुमोदनों की उच्चतम सीमा का उससे अधिक का अनुमोदन प्रदान न किया जाए।

औपचारिक अनुमोदनों के लिए सिफारिशें

परिशोधन प्रस्ताव अनुलग्नक - 6क:

1. मैसर्स न्यू फाउंड प्रॉपर्टीज़ एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऐरोली, जिला ठाणे, महाराष्ट्र में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 21.41 हेक्टेयर (क्रम संख्या 2):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स न्यू फाउंड प्रॉपर्टीज़ एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 21.41 हेक्टेयर के क्षेत्र में ऐरोली, जिला ठाणे, महाराष्ट्र में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. मेसर्स कोयम्बटूर हाइटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोयम्बटूर/तमिलनाडु में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 60.73 हेक्टेयर (क्र.सं. 4):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स कोयम्बटूर हाई-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 60.73 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ कोयंबटूर/तमिलनाडु में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. केआईएडीबी द्वारा कर्नाटक के हासन में कपड़ा के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 202 हेक्टेयर (क्रम संख्या 5):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने 202 हेक्टेयर के क्षेत्र के साथ केआईएडीबी द्वारा कर्नाटक के हासन में कपड़ा के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. मैसर्स पांडिचेरी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन कंपनी लिमिटेड द्वारा सेदरपेट - करासुर, पांडिचेरी में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना - 346 हेक्टेयर (क्र. सं. 6)

बोर्ड ने उल्लेख किया कि डेवलपर, राज्य सरकार का एक उपक्रम, जमीन पर स्वामीत्व था। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। यह भी ध्यान दिया गया कि पहले की मंजूरी एक सेक्टर विशेष सेज के लिए थी। एसईजेड नियम 2006 के तहत, पांडिचेरी के एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते, आवेदक उसी क्षेत्र में जो न्यूनतम निर्धारित 200 हेक्टेयर से अधिक है, एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना करने के लिए पात्र था। तदनुसार, बोर्ड ने 346 हेक्टेयर के क्षेत्र के

साथ पांडिचेरी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन कंपनी के सेदरपेट-करसुर में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. मेसर्स ओरिएंट क्राफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा हरियाणा के गुड़गांव में कपड़ा के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 113.35 हेक्टेयर (क्रम संख्या -7):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स ओरिएंट क्राफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 113.35 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ हरियाणा के गुड़गांव में टेक्सटाइल के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. एपीआईआईसी द्वारा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना - 2309 हेक्टेयर (क्रम संख्या 8)

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने एपीआईआईसी द्वारा 2309 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

अनुमोदन बोर्ड की पूर्ववर्ती बैठकों के आस्थगित मामले - अनुलग्नक - 6 ख:

7. मेसर्स बवाना साई एसोसिएट्स द्वारा उप्पलुरु, मंथना, केसरपल्ली गांवों में सॉफ्टवेयर विकास/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 25 हेक्टेयर (क्र.सं. 4)

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स बवाना साई एसोसिएट्स द्वारा 25 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ उप्पलुरु, मंथन, केसरपल्ली गांवों, एपी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट / आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

8. मेसर्स वाइटफील्ड पेपर मिल्स लिमिटेड द्वारा पश्चिम गोदावरी जिले, उत्तरी कोव्वूर, आंध्र प्रदेश में राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर मिल के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 121.4 हेक्टेयर (क्रम संख्या 5):

बोर्ड ने यह उल्लेख किया कि जिस क्षेत्र के लिए आवेदन किया गया है वह नया है और उक्त क्षेत्र में कोई अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है। यह भी ध्यान दिया गया कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स वाइटफील्ड पेपर मिल्स लिमिटेड द्वारा 121.4 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ पश्चिम गोदावरी जिले, उत्तरी कोव्वूर, आंध्र प्रदेश में राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर मिल के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

9. मेसर्स एस्सार जामनगर सेज डेवलपर लिमिटेड द्वारा गुजरात के जामनगर में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना - 2470 हेक्टेयर (क्र.सं. 9):

बोर्ड ने कहा कि डेवलपर के नाम केवल 1125 हेक्टेयर भूमि कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी केवल इस क्षेत्र के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स एस्सार जामनगर सेज डेवलपर लिमिटेड द्वारा 1125 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ गुजरात के जामनगर में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

10. मैसर्स इंफोसिस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड द्वारा हेब्बाल इंडस्ट्रियल एरिया, मैसूर, कर्नाटक में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 25.50 हेक्टेयर (क्र.सं. 13)

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स इंफोसिस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड द्वारा 25.50 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ हेब्बाल इंडस्ट्रियल एरिया, मैसूर, कर्नाटक में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

11. मैसर्स सैन इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड द्वारा व्हाइटफील्ड, बेंगलूर में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 11 हेक्टेयर (क्रम संख्या 16):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने यह भी नोट किया कि मैसर्स एक्सचेंजर, एक मेगा यूएस आईटी कंपनी इस प्रोजेक्ट की एंकरिंग कर रही थी। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स सैन इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड द्वारा 11 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ व्हाइटफील्ड, बेंगलूर में आईटी/आईटीईएस की स्थापना हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

12. केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) द्वारा कोच्चि, केरल में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए एक क्षेत्र विशेष एसईजेड की स्थापना - 12.141 हेक्टेयर (क्रम संख्या 19):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि बोर्ड की पिछली बैठक में भी इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था और कार्यवृत्त के बारे में एक भ्रम था, जिससे इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था जबकि राज्य सरकार ने यह उल्लेख किया था कि इसे औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया है। यह ध्यान दिया कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। तदनुसार, बोर्ड ने केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) द्वारा 12.141 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ कोच्चि, केरल में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

13. मैसर्स मगरपट्टा टाउनशिप डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा मगरपट्टा शहर, हदापसर, पुणे में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 11.98 हेक्टेयर (क्र.सं. 20):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स मगरपट्टा टाउनशिप डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा 11.98 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ मगरपट्टा शहर, हदापसर, पुणे में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

14. मैसर्स ईओएन खराडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खराडी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 18 हेक्टेयर (क्रम संख्या 25):

बोर्ड ने उल्लेख किया था कि इस प्रस्ताव पर पहले से ही अनुसमर्थन के मामले के रूप में विचार किया गया है और उस पर कार्यान्वयन अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। [मद I(1)]

15. मैसर्स विप्रो लिमिटेड द्वारा पुणे में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 20.23 हेक्टेयर (क्रम संख्या 27):

बोर्ड ने कहा कि मैसर्स विप्रो को उक्त परियोजना के लिए दिनांक 22 सितंबर, 2005 के पत्र के तहत सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। तदनंतर अनुमोदन बोर्ड की दिनांक 17.03.2006 को आयोजित बैठक में मैसर्स एमआईडीसी को मैसर्स विप्रो की सहमति से इस क्षेत्र के साथ-साथ बड़े क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह उल्लेख किया गया कि अब एमआईडीसी ने यह सूचित किया है कि भू-स्वामियों में से एक भू-स्वामी उक्त एसईजेड का भाग नहीं बनना चाहता है तथा इसलिए मैसर्स विप्रो तथा मैसर्स इन्फोसिस (अलग से सूचीबद्ध प्रस्ताव) को मैसर्स एमआईडीसी को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन के बदले मैसर्स विप्रो तथा मैसर्स इन्फोसिस (अलग से सूचीबद्ध प्रस्ताव) को अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है। यह भी उल्लेख किया गया कि भूमि डेवलपर के स्वामित्व में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स विप्रो लिमिटेड द्वारा पुणे में आईटी/आईटीईएस के लिए 20.23 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ क्षेत्र विशेष एसईजेड की स्थापना करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। बोर्ड ने उनके अनुरोध के अनुसार एमआईडीसी (हिंजवाडी, पुणे, महाराष्ट्र) - (82 हेक्टेयर क्षेत्रफल) को दिए गए औपचारिक अनुमोदन को रद्द करने का भी निर्णय लिया (दिनांक 17.03.2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की पहली बैठक में अनुसमर्थन मामले की क्र.सं. 8)।

16. मैसर्स विराज प्रोफाइल लिमिटेड द्वारा ग्राम आम, वाडा तहसील, जिला ठाणे, महाराष्ट्र में स्टेनलेस स्टील इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना -235 हेक्टेयर (क्र.सं. 31):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि यह प्रस्ताव एक ऐसे क्षेत्र के लिए था जिसके लिए अब तक कोई मंजूरी नहीं दी गई है और आवेदक एक अनुभवी स्टील प्रोफाइल और इंजीनियरिंग कंपनी है। डेवलपर ने प्रस्तावित क्षेत्र को 115 हेक्टेयर से बढ़ाकर 235 हेक्टेयर कर दिया था और भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स विराज प्रोफाइल लिमिटेड द्वारा 235 हेक्टेयर के क्षेत्र के साथ ग्राम आम, वाडा तहसील, जिला ठाणे, महाराष्ट्र में स्टेनलेस स्टील इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

17. मैसर्स सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड द्वारा खुशखेरा इंडस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी, राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 20 हेक्टेयर (क्र.सं. 34)

बोर्ड ने उल्लेख किया कि डेवलपर का सिंगापुर के मैसर्स जुरोंग कॉरपोरेशन के साथ विकास और विपणन समझौता है तथा भूमि स्वामित्व डेवलपर के पास था। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड द्वारा 20 हेक्टेयर के क्षेत्र के साथ खुशखेरा औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

18. मैसर्स कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा चेन्नई के सिरुसेरी में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 11.52 हेक्टेयर (क्रम संख्या 42):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि इस प्रस्ताव पर पहले विचार किया गया था और आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि प्रस्तावित क्षेत्र में पहले से संरचनाएं विद्यमान थी। यह नोट किया गया था कि बाद में, डेवलपर को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई थी और मौजूदा संरचनाओं को छोड़कर 11 हेक्टेयर भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश भी की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा 11.52 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ चेन्नई के सिरुसेरी में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

19. मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एचसीएलटी) द्वारा कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 20.235 हेक्टेयर (क्रम संख्या 43)।

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। यह एक चरण - II वाला शहर भी है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने 20.235 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एचसीएलटी) द्वारा कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

20. मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज द्वारा नोएडा में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 16.91 वर्ग (क्र.सं. 47)।

बोर्ड ने उल्लेख किया कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी और राज्य सरकार के अनुरोध पर इस प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया था। यह नोट किया गया था कि राज्य सरकार ने बाद में प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने 16.91 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज द्वारा नोएडा में आईटी / आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

21. मैसर्स ओवल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मौजा-बानग्राम, जिला 24, परगना (दक्षिण) पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 12.14 हेक्टेयर (क्रम संख्या 48):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी और राज्य सरकार के अनुरोध पर यह प्रस्ताव पहले टाल दिया गया था। यह नोट किया गया था कि राज्य सरकार ने बाद में प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने 12.14 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ मैसर्स ओवल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मौजा-बानग्राम, जिला 24, परगना (दक्षिण) पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

22. बाटा नगर, 24 दक्षिण परगना, पश्चिम बंगाल में मेसर्स रिवरबैंक होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी सेक्टर के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 10 हेक्टेयर (क्रम संख्या 49):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी और यह प्रस्ताव पहले ही हटा दिया गया था क्योंकि मेसर्स रिवर बैंक होल्डिंग्स के वित्तीय विवरण स्पष्ट नहीं थे। तदनंतर, मेसर्स बाटा ने स्पष्ट किया है कि यह उनके समूह की कंपनी थी और उसने मेसर्स बाटा के नाम से संशोधित आवेदन किया था। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले मेसर्स बाटा द्वारा बाटा नगर, 24 दक्षिण परगना, पश्चिम बंगाल में आईटी सेक्टर के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

नए प्रस्ताव (भूमि के साथ गैर आईटी) - अनुलग्नक 6 ग

23. मैसर्स ब्रैंडिक्स इंडिया अपैरल सिटी प्राइवेट लिमिटेड (बीआईएसी) द्वारा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में वस्त्र के लिए एक क्षेत्र विशेष एसईजेड की स्थापना। - 404.7 हेक्टेयर (क्र.सं. 2)।

बोर्ड ने उल्लेख किया कि डेवलपर अग्रणी श्रीलंकाई परिधान निर्माता मैसर्स ब्रैंडिक्स के साथ कार्यरत एक संयुक्त उद्यम था और उनके पास भूमि का स्वामित्व था। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **404.7 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ मैसर्स ब्रैंडिक्स इंडिया अपैरल सिटी प्राइवेट लिमिटेड (बीआईएसी) द्वारा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में वस्त्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।**

24. मैसर्स गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा झगड़िया, भरूच जिले, गुजरात में सिरेमिक और ग्लास के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 170.7 हेक्टेयर (क्रम संख्या 3):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जिस क्षेत्र के लिए आवेदन किया गया है वह नया है और उक्त क्षेत्र में कोई मंजूरी नहीं दी गई है। यह भी ध्यान दिया गया कि भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **170.7 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ मैसर्स गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा झगड़िया, भरूच जिले, गुजरात में सिरेमिक और ग्लास के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।**

25. मैसर्स जुबिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा गुजरात के भरूच में रसायन के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 100 हेक्टेयर (क्रम संख्या 4):

बोर्ड ने नोट किया कि डेवलपर ने पहले फार्मास्यूटिकल्स और रसायन के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए आवेदन किया था जिस पर दिनांक 17.03.2006 को आयोजित बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था। बोर्ड ने उल्लेख किया कि तब उन्हें केवल फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र से संबंधित एसईजेड के लिए मंजूरी दी गई थी क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स और रसायन को दो अलग-अलग क्षेत्रों के रूप में जाना जाता था। दिनांक 12.06.2006 की बैठक में उन्हें रसायन क्षेत्र से संबंधित सेज के लिए नए सिरे से आवेदन जमा करने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने इस बात की पुष्टि की कि उन्हें अतिरिक्त भूमि दी गई थी और डेवलपर के पास 100 हेक्टेयर भूमि का कब्जा था। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **100 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ मैसर्स जुबिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा गुजरात के भरूच में रसायन के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।**

26. मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा ग्राम भिगान और कुराद इब्राहिमपुर, मुरथल, जिला सोनीपत, हरियाणा में इंजीनियरिंग सामानों के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 100 मिलियन हेक्टेयर (क्रम संख्या 6):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कई इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित एसईजेड को मंजूरी नहीं दी गई है, बोर्ड ने मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 100 हेक्टेयर के क्षेत्र के साथ ग्राम भिगान और कुराद इब्राहिमपुर, नियर मुरथल, जिला सोनीपत, हरियाणा में इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

27. मेसर्स महिंद्रा गेसको डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा विलेज ओवले, घोडबंदर रोड, ठाणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 28 हेक्टेयर (क्र.सं.8)

बोर्ड ने उल्लेख किया कि डेवलपर्स एक प्रसिद्ध औद्योगिक समूह है और उसका एक जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट एसईजेड की स्थापना का प्रस्ताव है जो एक नवोदित क्षेत्र है। यह ध्यान दिया गया कि वे भूमि उनके स्वामित्व में थी और राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने 28 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ मेसर्स महिंद्रा गेसको डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा विलेज ओवले, घोडबंदर रोड, ठाणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

28. मेसर्स विविध इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजपुरा, पटियाला, पंजाब में इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 100 हेक्टेयर (क्रम संख्या 10):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि डेवलपर्स क्वार्कसिटी एसईजेड के डेवलपर्स हैं और इसमें बड़े विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शामिल हैं और भूमि उनके स्वामित्व में है। यह भी उल्लेख किया गया कि पंजाब में एसईजेड की स्थापना के लिए अधिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स विभा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 100 हेक्टेयर के क्षेत्र के साथ राजपुरा, पटियाला, पंजाब में इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए एक विशेष सेज की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

29. मेसर्स मृदुल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजपुरा, पटियाला, पंजाब में वस्त्रों के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 100 हेक्टेयर (क्रम संख्या 11):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि डेवलपर्स क्वार्कसिटी एसईजेड के डेवलपर्स हैं और इसमें बड़े विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शामिल हैं और भूमि उनके स्वामित्व में है। यह भी उल्लेख किया गया कि पंजाब में एसईजेड की स्थापना के लिए अधिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स मृदुल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 100

हेक्टेयर क्षेत्र के साथ राजपुरा, पटियाला पंजाब में वस्त्रों के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

30. राज्य औद्योगिक विकास निगम ऑफ उत्तरांचल लिमिटेड द्वारा सितारगंज, उधमसिंह नगर, उत्तरांचल में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना - 440 हेक्टेयर (क्रम संख्या 12):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि उत्तरांचल में एसईजेड की स्थापना के लिए अधिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे। यह भी उल्लेख किया गया कि डेवलपर राज्य सरकार का एक निगम है तथा भूमि उनके स्वामित्व में है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने 440 हेक्टेयर के क्षेत्र के साथ उत्तरांचल लिमिटेड के राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा सितारगंज, उधमसिंह नगर, उत्तरांचल में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

नए प्रस्ताव - अनुलग्नक 6घ:

31. मेसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा माहेश्वरम गांव, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 111 हेक्टेयर (क्रम संख्या 1):

बोर्ड ने यह उल्लेख किया कि डेवलपर, जो राज्य सरकार का उपक्रम था, भूमि उनके स्वामित्व में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा 111 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ माहेश्वरम गांव, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

32. मेसर्स दिव्यश्री एनएसएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा रायदुर्गा गांव, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 15.175 हेक्टेयर (क्रम संख्या 4):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बोर्ड ने यह भी नोट किया कि गूगल इस एसईजेड में एक एंकर क्लाइंट होगा। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स दिव्यश्री एनएसएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 15.11 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ रायदुर्गा गांव, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी/ आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

33. मेसर्स लैंको मिन्ट्री टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रंगा रेड्डी जिले, आंध्र प्रदेश में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 11.77 हेक्टेयर (क्रम संख्या 5):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। बोर्ड ने यह भी नोट किया कि डेवलपर ने ज़ोन के बाहर आईटी परियोजना के लिए कई बुनियादी ढांचे का भी निर्माण किया था। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स लैंको मन्त्री टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 11.77 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ आंध्र प्रदेश के रंगा रेड्डी जिले में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

34. मेसर्स एसोटेक रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में आईटी/ आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 10.62 हेक्टेयर (क्रम संख्या 13):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि डेवलपर का अमेरिकी कंपनियों के साथ एसईजेड में 75% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा एसईजेड में स्थान प्रदान करने के लिए समझौता हुआ है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स एसोटेक रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 10.62 हेक्टेयर के क्षेत्र के साथ गुड़गांव, हरियाणा में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

35. ग्राम मैसर्स यूनिटेक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा कुन्नाथुनाडु, तालुका मोर्काला देशम, एर्नाकुलम, केरल में आईटी/आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 10 हेक्टेयर (क्रम संख्या 14):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स यूनिटेक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के साथ ग्राम कुन्नाथुनाडु, तालुक मोरकाला देशम, एर्नाकुलम, केरल में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

36. मैसर्स गोल्डन गेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जला होबली, बेंगलोर, कर्नाटक में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 26.304 हेक्टेयर (क्रम संख्या 15):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स गोल्डन गेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 26.304 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ जला होबली, बेंगलोर, कर्नाटक में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

37. मेसर्स एचसीएल टेक्नोपार्क लिमिटेड द्वारा आईटी/आईटीईएस के लिए बेंगलोर में क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 11.05 हेक्टेयर (क्रम संख्या 18):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स एचसीएल टेक्नोपार्क लिमिटेड द्वारा 11.05 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ जिगानी औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलोर में आईटी/ आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

38. मैसर्स इंफोसिस लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र/पुणे में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 32.38 हेक्टेयर (क्रम संख्या 21):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि दिनांक 17.03.2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मैसर्स एमआईडीसी को एक बड़े क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई थी। यह उल्लेख किया गया कि अब एमआईडीसी ने सूचित किया है कि भू-स्वामियों में से एक भू-स्वामी उक्त एसईजेड का हिस्सा नहीं बनना चाहता है और इसलिए मैसर्स विप्रो तथा मैसर्स इन्फोसिस (प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा पहले ही विचार किया गया था तथा उसे अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था) को अनुमोदन प्रदान किए जा सकते हैं। बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स इंफोसिस लिमिटेड द्वारा 32.38 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ पुणे, महाराष्ट्र में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

39. मेसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हिंजवाड़ी और मान, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी/आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 49.1 हेक्टेयर (क्रम संख्या 22):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 49.1 हेक्टेयर के क्षेत्र के साथ हिंजवाड़ी और मान, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी/आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया जो 60 दिनों के भीतर राज्य सरकार की सिफारिश के अध्यक्षीन होगा।

40. मैसर्स फ्लैगशिप इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हिंजवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 28 हेक्टेयर (क्रम संख्या 24):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स फ्लैगशिप इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 28 हेक्टेयर के क्षेत्र के साथ हिंजवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

41. मेसर्स नुजिवेडु सीड्स लिमिटेड द्वारा शोलिंगनल्लूर, तांबरम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 17.32 हेक्टेयर (क्रम संख्या 31)

बोर्ड ने उल्लेख किया कि डेवलपर का चरण- II वाले शहर की भूमि पर कब्जा था। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स नुजिवेडु सीड्स द्वारा 17.32 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ शोलिंगनल्लूर, तांबरम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

42. उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा देहरादून, उत्तरांचल में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 14.2 हेक्टेयर (क्रम संख्या 36):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि उत्तरांचल में एसईजेड की स्थापना के लिए अधिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। यह भी उल्लेख किया गया था कि डेवलपर एक राज्य सरकार निगम है और भूमि उसके कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा 14.2 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ देहरादून, उत्तरांचल में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

43. मेसर्स एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एसईजेड द्वारा आईटी/आईटीईएस के लिए प्लॉट नंबर टी.जी.-02, सेक्टर-टेक जोन, आईटीईएस पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 10.12 हेक्टेयर (क्रम संख्या -37):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एसईजेड द्वारा 10.12 हेक्टेयर का क्षेत्र के साथ प्लॉट नंबर टी.जी.-02, सेक्टर-टेक जोन, आईटीईएस पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

44. मेसर्स एनफील्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा पनागर बाजार, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 26 हेक्टेयर (क्रम संख्या 40)

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स एनफील्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा 26 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ पनागर बाजार, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

45. मेसर्स शापूरजी पल्लोनजी एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा, ए - III, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 20 हेक्टेयर (क्र.सं. 41):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स शापूरजी पल्लोनजी एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा 20 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ ए-III, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

46. मैसर्स मेडिटैब स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भूट - खंब, केरीम, ताल - पोंडा, गोवा में भेषज और रसायन उत्पादों के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 123.2 हेक्टेयर (क्र.सं. 3): (अनुलग्नक-6 च)। यह गोवा का पहला एसईजेड है।

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। हालांकि, यह उल्लेख किया गया कि उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स और रसायन के लिए अनुरोध किया था जो दो अलग-अलग क्षेत्र हैं। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स मेडिटैब स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 123.2 हेक्टेयर के क्षेत्र के साथ भूट - खंब, केरीम, ताल - पोंडा, गोवा में फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया।

अनुमोदन बोर्ड ने इस चरण में यह उल्लेख किया कि 150 औपचारिक स्वीकृतियों की सीमा समाप्त हो चुकी है। औपचारिक अनुमोदन के अन्य प्रस्तावों को आस्थगित कर दिया गया। अनुमोदन बोर्ड के अध्यक्ष ने सदस्यों को यह भी सूचित किया कि डीओसी ईजीओएम से मार्गदर्शन/निर्देश के लिए तुरंत संपर्क करेगा।

ख. सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए सिफारिशें:

आस्थगित प्रस्ताव सूची 6 ख

1. मेसर्स मैराथन रियल्टी लिमिटेड द्वारा पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना - 1100 हेक्टेयर (क्रम सं. 30)

राज्य सरकार प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव को केवल सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए अनुशंसित करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स मैराथन रियल्टी लिमिटेड द्वारा 1100 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

2. मैसर्स श्री सामया प्रा.लिमिटेड द्वारा तालुका पॉनेरी, जिला तिरुवल्लुर, चेन्नई, तमिलनाडु में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना.- 1600 हेक्टेयर (क्रम संख्या 45):

राज्य सरकार प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव को केवल सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए अनुशंसित करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स श्री सामया प्रा.लिमि. द्वारा 1600 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ तालुका पॉनेरी, जिला तिरुवल्लुर, चेन्नई, तमिलनाडु में एसईजेड की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

नई मामले आईटी सूची 6 घ

3. मैसर्स एनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल के कल्याणी, नादिया में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 16 हेक्टेयर (क्रम संख्या 42):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि कल्याणी में अवस्थित भूमि डेवलपर के कब्जे में थी। तथापि, राज्य सरकार ने यह सूचित किया कि उन्होंने डेवलपर को खड़गपुर जाने के लिए कहा था, जिसके लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। बोर्ड ने उल्लेख किया कि दिनांक 07.08.2006 का उनका पत्र जो 08.08.2006 को प्राप्त हुआ था, के तहत डेवलपर ने उक्त के संबंध में सहमति व्यक्त की थी परंतु नई स्थान पर अवस्थित भूमि उसके अधिकार में नहीं थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिम बंगाल सरकार को एसईजेड की स्थापना के लिए अधिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे तथा डेवलपर चरण II शहर में जा रहा था, बोर्ड ने मैसर्स एनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 16 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

बहु-उत्पाद एसईजेड - अनुलग्नक - 6 ड

4. मैसर्स सत्यवेदु रिजर्व इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक बहु-उत्पाद, एसईजेड की स्थापना -1000 हेक्टेयर (क्रम संख्या 1):

राज्य सरकार प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि यह राज्य सरकार का एक उपक्रम है तथा राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन की अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स सत्यवेदु रिजर्व इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1000 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ नेल्लोर जिले में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

5. मैसर्स रॉकमैन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग, जयपुर में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना - 1012 हेक्टेयर (क्र.सं. 5) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स रॉकमैन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा 1012 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ नेशनल हाईवे, जयपुर में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

6. मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड द्वारा मंडल रामबनिली, जिला विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना - 1050 हेक्टेयर (क्र.सं. 7):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड द्वारा 1050 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ मंडल रामबनिली, जिला विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

7. मैसर्स स्टर्लिंग एलाइंस एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जम्बूसर, भरुच, गुजरात में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना - 3380 हेक्टेयर (क्र. सं. 8):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स स्टर्लिंग एलाइंस एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 3380 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ जम्बूसर, भरुच, गुजरात में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

8. मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा जयपुर जिला, ग्राम संगतेरा, कोटपूतली तहसील, राजस्थान में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना - 1012.2 हेक्टेयर (क्रम संख्या 13):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 1012 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ जयपुर जिला, ग्राम संगतेरा, कोटपूतली तहसील, राजस्थान में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

9. मैसर्स ओमेक्स लिमिटेड द्वारा अलवर जिला, राजस्थान में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना - 6070.35 हेक्टेयर (क्रम संख्या 14):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स ओमेक्स लिमिटेड द्वारा 6070.35 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ राजस्थान के अलवर जिले में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

10. मेसर्स मालवल्ली पावर प्लांट प्रा.लि. द्वारा तमिलनाडु में नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित एसईजेड की स्थापना - 263 हेक्टेयर (क्रम संख्या 15):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स मालवल्ली पावर प्लांट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 263 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ तमिलनाडु में एक नवीकरणीय ऊर्जा एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

प्रतिनिधित्व/कम-प्रतिनिधित्व वाले राज्य और क्षेत्र - अनुलग्नक - 6 च:

11. मैसर्स मोजा शूज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में फुटवियर के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 100 हेक्टेयर (क्र.सं. 1):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स मोजा शूज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 100 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में फुटवियर के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

12. मेसर्स सुजलॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा गुजरात के वडोदरा में हाई-टेक इंजीनियरिंग उत्पाद और संबंधित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 101 हेक्टेयर (क्रम संख्या 2):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स सुजलॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 101 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ गुजरात के वडोदरा, गुजरात में उच्च तकनीक इंजीनियरिंग उत्पादों और संबंधित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशेष एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

13. मेसर्स श्रीअमोजी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तहसील फरुखनगर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में मोटर वाहन के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 101 हेक्टेयर (क्रम संख्या 4):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स श्रीअमोजी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 101 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ तहसील फरुखनगर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में एक मोटर वाहन क्षेत्र के विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

14. मेसर्स रॉकमैन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, मानेसर जिला गुड़गांव, हरियाणा में एक बहु सेवा एसईजेड की स्थापना - 100 हेक्टेयर (क्रम संख्या 6):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स रॉकमैन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा 100 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, मानेसर जिला गुड़गांव, हरियाणा में बहु-सेवा एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

15. मैसर्स एचआई स्किल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बेंगलोर, कर्नाटक में एयरोस्पेस भागों के लिए एक सेक्टर विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 100 हेक्टेयर (क्रम संख्या 7):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स एचआई स्किल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 100 हेक्टेयर के क्षेत्र के साथ बेंगलोर, कर्नाटक में एयरोस्पेस भागों के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

16. मैसर्स क्वेस्ट मैकिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कर्नाटक के बेलगाम, कर्नाटक में ऑटो, एयरोस्पेस और औद्योगिक इंजीनियरिंग के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 121.405 हेक्टेयर (क्रम संख्या 8):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स क्वेस्ट मैकिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 121.405 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ कर्नाटक के बेलगाम में प्रेसिजन इंजीनियरिंग के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

17. मैसर्स सुजलॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा कर्नाटक में हाई-टेक इंजीनियरिंग उत्पादों और संबंधित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 202 हेक्टेयर (क्रम संख्या 9):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स सुजलॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 202 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ कर्नाटक के उडुपी में कर्नाटक के लिए उच्च तकनीक इंजीनियरिंग उत्पादों और संबंधित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

18. मैसर्स गांधी सीटी फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा बेंगलोर, मैसूर राजमार्ग, कर्नाटक के साथ-साथ रामनगरम तालुक, बंगलौर ग्रामीण जिले में उन्नत अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेवा क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 404.687 हेक्टेयर (क्र.सं. 10) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स गांधी सीटी फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा 404.6873 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ बेंगलूर, मैसूर राजमार्ग, कर्नाटक के साथ-साथ रामनगरम तालुक, बंगलौर ग्रामीण जिले सेवा क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

19. मेसर्स सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड द्वारा तालुक रोहा, महाराष्ट्र में प्लास्टिक प्रसंस्करण के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 100 हेक्टेयर (क्रम संख्या 11)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड द्वारा 100 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ तालुक रोहा, रायगढ़, महाराष्ट्र में प्लास्टिक प्रसंस्करण के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

20. मैसर्स सनी विस्टा रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम भोकरपाड़ा, पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में सेवाओं के लिए एक सेक्टर विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 103.2 हेक्टेयर (क्रम संख्या 12):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स सनी विस्टा रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 103.2 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ ग्राम भोकरपाड़ा, पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

21. मेसर्स जेनपेक्ट इंडिया द्वारा भोपाल, मध्य प्रदेश में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 20.25 हेक्टेयर (क्रम संख्या 16):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने भोपाल, मध्य प्रदेश में मेसर्स जेनपेक्ट इंडिया द्वारा 20.25 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

22. मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा लापंगा जिला, संबलपुर, उड़ीसा में एल्युमीनियम और एल्युमिनियम उत्पादों (कैप्टिव पावर प्लांट के साथ) के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 855 हेक्टेयर (क्रम संख्या 17):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 855

हेक्टेयर क्षेत्र के साथ लापंगा जिला, संबलपुर, उड़ीसा में एल्यूमीनियम और एल्युमिनियम उत्पादों (कैप्टिव पावर प्लांट के साथ) के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

23. मैसर्स सराफ एजेंसियां प्राइवेट लिमिटेड द्वारा छतरपुर जिला गंजाम, उड़ीसा में समुद्र तट रेत खनिज के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 130 हेक्टेयर (क्रम संख्या 18):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स सराफ एजेंसियां प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 130 हेक्टेयर के क्षेत्र के साथ छतरपुर जिला गंजाम, उड़ीसा में समुद्र तट रेत खनिज के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

24. मैसर्स डीएलएफ द्वारा भुवनेश्वर, पारादीप रोड, पारादीप, उड़ीसा में आईटी/आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 22 हेक्टेयर (क्र.सं. 19)।

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स डीएलएफ द्वारा 22 हेक्टेयर के क्षेत्र के साथ भुवनेश्वर, पारादीप रोड, पारादीप, उड़ीसा में आईटी/आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

25. मैसर्स जेनपेक्ट इंडिया द्वारा भुवनेश्वर, उड़ीसा में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 10 हेक्टेयर (क्रम संख्या 20):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स जेनपेक्ट इंडिया द्वारा 10 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ भुवनेश्वर, उड़ीसा में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी देने का फैसला किया।

26. मेसर्स वेदांता एलुमिना लिमिटेड द्वारा जिला झारसुगुड़ा, उड़ीसा में 1215 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट के साथ-साथ एल्यूमीनियम के निर्माण और निर्यात के लिए एक सेक्टर विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 347.18 हेक्टेयर (क्र.सं. 21):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स वेदांता एलुमिना लिमिटेड द्वारा 347.18 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ जिला झारसुगुड़ा, उड़ीसा में 1215 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट के साथ-साथ एल्यूमीनियम के निर्माण और निर्यात के लिए एक सेक्टर विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

27. मैसर्स शिप्रा एस्टेट लिमिटेड द्वारा डेरा बस्सी तहसील, पटियाला, पंजाब में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 20 हेक्टेयर (क्रम संख्या 23):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स शिप्रा एस्टेट लिमिटेड द्वारा 20 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ डेरा बस्सी तहसील, पटियाला, पंजाब में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

28. मेसर्स रॉकमैन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा पंजाब के लुधियाना में वस्त्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 100 हेक्टेयर (क्रम संख्या 24):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स रॉकमैन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा 100 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ लुधियाना, पंजाब में वस्त्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

29. मेसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा जयपुर - अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान में रत्न और आभूषण के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 45.6 हेक्टेयर (क्र.सं. 26) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा जयपुर - अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान में रत्न और आभूषण के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

30. मैसर्स जनरल इंडिया द्वारा जयपुर, राजस्थान में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 10 हेक्टेयर (क्रम संख्या 28):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स जेनपेक्ट इंडिया द्वारा 10 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ जयपुर, राजस्थान में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

31. मेसर्स सुजलॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा पल्लदम, कोयंबटूर, तमिलनाडु में हाइटेक इंजीनियरिंग उत्पादों और संबंधित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 101 हेक्टेयर (क्र.सं. 29)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स सुजलॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 101

हेक्टेयर क्षेत्र के साथ पल्लदम, कोयंबटूर, तमिलनाडु में हाइटेक इंजीनियरिंग उत्पादों और संबंधित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

32. मैसर्स झंसा (इंडिया) लिमिटेड द्वारा ग्रेटर नोएडा में आईटी/आईटीईएस के लिए एक सेक्टर विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 10 हेक्टेयर (क्रम संख्या 31):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स झंसा (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 10 हेक्टेयर के क्षेत्र के साथ ग्रेटर नोएडा में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया।

33. मैसर्स एनफील्ड रियलटर्स लिमिटेड द्वारा पनागर, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 10 हेक्टेयर (क्रम संख्या 34):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स एनफील्ड रियलटर्स लिमिटेड द्वारा 10 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ पनागर, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक क्षेत्र विशेष एसईजेड की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

34. मैसर्स परसामनी इंफ्राबाइल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा मौजा करिदंगा और भाटिपौटा, जेएल - 33, 24 परगना, पश्चिम बंगाल में आईटी/आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 40 हेक्टेयर (क्रम संख्या 35) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स परसामनी इंफ्राबाइल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा 40 हेक्टेयर के क्षेत्र के साथ मौजा करिदंगा और भाटिपौटा, जेएल - 33, 24 परगना, पश्चिम बंगाल में आईटी/आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

35. मैसर्स एशियन गेटवे लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आईटी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 200 वर्ग (क्रम संख्या 36):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स एशियन गेटवे लिमिटेड द्वारा 200 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आईटी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

36. मेसर्स एनफील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा राजरथ के नजदीक जिला 24 परगना (एन), पश्चिम बंगाल में आईटी/आईटीईएस लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 20 हेक्टेयर (क्रम संख्या 38):।

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने मेसर्स एनफील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 20 हेक्टेयर के क्षेत्र के साथ राजरथ के नजदीक जिला 24 परगना (एन), पश्चिम बंगाल में आईटी/आईटीईएस लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

37. मैसर्स लोढ़ा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डोम्बिविल्ली, महाराष्ट्र में आईटी/आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना का प्रस्ताव। (अनुपूरक कार्यसूची की क्र.सं. 2)

मूल आवेदन, जो डेवलपर द्वारा जुलाई 2006 में डोम्बिविल्ली, महाराष्ट्र में 32 हेक्टेयर क्षेत्र में आईटी/आईटीईएस एसईजेड की स्थापना के लिए दायर किया गया था, पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया, आवेदक के पास भूमि पर विकास के अधिकार थे तथा उस भूमि पर आवेदक का कब्जा था और आवेदक स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के लिए निबंधन पत्र निष्पादित करने की प्रक्रिया में है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स लोढ़ा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डोम्बिविल्ली, महाराष्ट्र में आईटी/आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया।

ग. अनुपूरक कार्यसूची में मेसर्स पार्श्वनाथ के प्रस्तावों को आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि यह प्रस्ताव औपचारिक अनुमोदन के लिए था जोकि ईजीओएम द्वारा लगाए गए 150 औपचारिक अनुमोदन की उच्चतम सीमा को देखते हुए नहीं दिया जा सकता था। आगे यह उल्लेख किया गया कि किंफ्रा के प्रस्ताव पर पहले ही विचार किया जा चुका था।

घ. अस्वीकृति के लिए सिफारिश :

1. मैसर्स बायलॉजिकल ई. लिमिटेड द्वारा 28.83 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ कोल्थुर ग्राम, समीरपेट मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में जैव-प्रौद्योगिकी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए उसके प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया। बोर्ड ने यह उल्लेख किया कि आवेदन एक मौजूदा इकाई के लिए अनुमोदन प्रदान करने से संबंधित था। चूंकि एसईजेड योजना के तहत मौजूदा इकाइयों के रूपांतरण की अनुमति नहीं थी, इसलिए बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। (सूची 6 ख की क्र.सं. 1)

ड. शेष बचे प्रस्तावों पर विचार (i) 150 औपचारिक अनुमोदन की उच्चतम सीमा तक पहुंच जाने तथा (ii) राज्य सरकार की सिफारिशों तथा/अथवा संवर्धकों के वित्तीय ब्यौरे के प्राप्त होने की

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आस्थगित कर दिया गया था। आस्थगित तथा वापस लिए गए प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट II में दी गई है।

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची परिशिष्ट II में दी गई है।

मणिकोंडा, हैदराबाद में एसईजेड

- भवन का निर्माण
- सुविधा के लिए बिजली संयंत्र की स्थापना
- आधुनिक फर्नीचर के अधिष्ठापन सहित भवन के लिए आंतरिक कार्य
- विद्युत केबल लगाना
- नेटवर्क केबल लगाना
- केंद्रीकृत एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना

इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बेंगलोर, कर्नाटक में एसईजेड

- भवन का निर्माण
- सुविधा के लिए बिजली संयंत्र की स्थापना
- आधुनिक फर्नीचर के अधिष्ठापन सहित भवन के लिए आंतरिक कार्य
- विद्युत केबल लगाना
- नेटवर्क केबल लगाना
- केंद्रीकृत एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना

सरजापुर रोड पर सेज,। बेंगलोर, कर्नाटक

- भवन का निर्माण
- सुविधा के लिए बिजली संयंत्र की स्थापना
- आधुनिक फर्नीचर के अधिष्ठापन सहित भवन के लिए आंतरिक कार्य
- विद्युत केबल लगाना
- नेटवर्क केबल लगाना
- केंद्रीकृत एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना

अडानी पावर प्राइवेट लिमिटेड

बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण तथा संबंधित बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने के लिए सह-डेवलपर द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों/अधिकृत संचालनों की सूची।

- भूमि और स्थल का विकास, चारदीवारी और बाड़ लगाना।
- आंतरिक सड़क नेटवर्क, सड़क प्रकाश व्यवस्था, भूनिर्माण, बागवानी।
- सीवरेज नेटवर्क, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज नेटवर्क
- फायर एंड सेफ्टी सिस्टम
- जल आपूर्ति नेटवर्क, जल उपचार संयंत्र
- इन्फोकॉम नेटवर्क
- एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण प्रणालियां
- ग्रीन बेल्ट का विकास।
- बिजली उत्पादन संयंत्र और मशीनरी, उपकरण, सहायक उपकरण और स्पेयर पार्ट्स, चिमनी, स्विच गियर, ट्रांसफॉर्मर, संबंधित सॉफ्टवेयर और नियंत्रण प्रणालियां।
- तरल पदार्थ के लिए भंडारण टैंक और पाइपलाइन।
- डिसेलिनेशन प्लांट, ब्राइन वाटर डिस्चार्ज सिस्टम, सी वाटर इन्टेक की सुविधाएं।
- भाप उत्पादन और आपूर्ति।
- विद्युत पारेषण, वितरण नेटवर्क और आपूर्ति,
- कोयला और अन्य सामग्री के परिवहन और उनके रख-रखाव के लिए रेलवे लाइन, कन्वेयर सिस्टम, फ्यूल ऑयल (एलडीओ) रख-रखाव प्रणाली, ऐश हैंडलिंग सिस्टम।
- कामगारों के लिए कैंटीन, कैफेटेरिया, विश्राम गृह, डिस्पेंसरी आदि जैसी सुविधाएं।
- कार्यालय भवन, सम्मेलन केंद्र, सुरक्षा कार्यालय, अनुसंधान और परीक्षण प्रयोगशाला।
- फैक्टरी भवन, कार्य शेड, गोदाम, पार्किंग क्षेत्र।
- उपरोक्त सुविधाओं का विकास, उनका वित्त पोषण, संचालन और रख-खाव।

बायोकाॅन लिमिटेड

कंपनी द्वारा सेज के डेवलपर के रूप में प्रस्तावित की जाने वाली गतिविधियों में शामिल हैं:

- एसईजेड में इमारतों सहित बुनियादी ढांचे का विकास और रखरखाव।
- एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट;
- अपशिष्ट यार्ड;
- डब्ल्यूटीपी टैंक;
- अग्निशमन उपकरण और जल हाइड्रेंट;
- कूलिंग टॉवर;
- बहु प्रभावी वाष्पीकरण संयंत्र;
- नाइट्रोजन उत्पादन संयंत्र;
- विलायक भंडारण;
- सॉल्वेंट रिकवरी क्षेत्र;
- केंद्रीकृत भाप ब्लॉक;
- संपीड़ित हवा प्रणाली;
- ठंडा पानी की व्यवस्था;
- ठंडा ब्राइन सिस्टम;
- पाइपिंग वितरण;
- बिजली उत्पादन और वितरण;
- जल भंडारण और वितरण;
- ईंधन भंडारण और वितरण (एसकेओ, एचएसडी, आदि);
- पार्किंग की जगह;
- परिसर की दीवार;
- भूदृश्य;
- कैटीन/फूड कोर्ट;
- कंप्यूटर सिस्टम, दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं;
- अपशिष्ट वितरण / भस्मक;

अन्य दैनिक गतिविधियां जिन्हें किसी एसईजेड में किए जाने की आवश्यकता है जैसे:

- सुरक्षा;
- गृह व्यवस्था;

सेसना गार्डन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

प्रसंस्करण क्षेत्र में की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियां:

- बुनियादी ढांचे का विकास और रखरखाव तथा प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाइयों द्वारा विशेष रूप से खपत और उपयोग की जाने वाली अन्य सुविधाओं का प्रावधान:
- स्थल का विकास
- चारदीवारी और आंतरिक संपर्क सड़कें
- कार्यालय की जगह
- बहु-स्तरीय कार पार्किंग (स्वचालित / मैनुअल)
- कैफेटेरिया और फूड कोर्ट
- टेलीकॉम और इंटरकनेक्टिविटी सहित अन्य संचार सुविधाएं
- गंदा पानी साफ़ करने के संयंत्र
- वर्षा जल संचयन संयंत्र
- पावर (पावर बैक सुविधाओं सहित)
- वातानुकूलन
- पानी
- स्विमिंग पूल
- क्लब हाउस और व्यायामशाला सहित मनोरंजन सुविधाएं
- कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे एटीएम, मेडिकल सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं
- बेचने की जगह
- इमारतों के लिए अंदरूनी और बाहरी कार्य

गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र (अनुमोदन समिति द्वारा निर्धारित आकार/मात्रा के अनुसार) में किए जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियां:

- होटल / सर्विस अपार्टमेंट
- आवास

सीएमसी लिमिटेड

अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास और रखरखाव और अन्य सुविधाओं का प्रावधान अर्थात:

- सॉफ्टवेयर विकास खंड
- सामान्य सेवाएं ब्लॉक
- कैंटीन ब्लॉक
- पुस्तकालय
- व्यायामशाला और अन्य इनडोर और आउटडोर खेल सुविधाओं के साथ मनोरंजन ब्लॉक
- टेलीकॉम और इंटर कनेक्टिविटी सहित अन्य संचार सुविधाएं
- गंदा पानी साफ़ करने के संयंत्र
- पावर (पावर बैकअप के लिए सुविधाएं सहित)
- भूदृश्य
- ओपन एयर एम्फीथिएटर
- अतिथि ब्लॉक / ट्रांजिट क्वार्टर,
- ओपन एयर एम्फीथिएटर
- खुली के साथ-साथ स्टिल्ट पार्किंग।
- काफ़ी हाउस

बुनियादी सुविधाएं

- प्रस्तावित सुविधा के आसपास के क्षेत्र में स्थित ऐपट्रांसको सब स्टेशन से 15 मेगावाट की ग्रिड पावर को प्राप्त किया जाएगा।
- आईटी कार्यालय क्षेत्र के लिए 400 लक्स का प्रकाश स्तर।
- शून्य डाउन टाइम के लिए रीडंडेंट लिंक के साथ दूरसंचार; सुविधा के लिए नेटवर्किंग संबंधी काम; प्रत्येक मंजिल के पास अपने स्वयं के हब कमरे हैं जो जोकि समर्पित बढ़ते हुए मुख्य मार्गों और शाफ्टों में रखे गए ओएफसी और कैट 6 केबल का उपयोग करते हुए केंद्रीय डेटा सेंटर से जुड़े हुए हैं।
- 400 केएलडी जल रीसाइक्लिंग और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उपयोग भूनिर्माण और सिंचाई और एयर कंडीशनिंग के कार्यों के लिए किया जाना है;
- ऊर्जा अनुकूलन के लिए हीट रिकवरी व्हीलों के साथ एयर कंडीशनिंग।

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

- आईबीएमएस (इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम) जिसमें सीसीटीवी, एक्सेस कंट्रोल, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम, आईबीएमएस के माध्यम से निगरानी की जाने वाली उपयोगिता की निगरानी शामिल है।
- ऊर्जा की बचत संबंधी उपकरणों के साथ एयर कंडीशनिंग और मैकेनिकल वेंटिलेशन।
- अग्निरक्षण प्रणाली
- लिफ्ट
- पार्किंग
- कर्मचारियों के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए व्यापक परिदृश्य और जल निकाय।

हेक्सावेयर प्रौद्योगिकी सीमित है

- निर्माण कार्य
- मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कार्य
- एचवीएसी कार्य
- प्लम्बिंग और अग्निशमन कार्य
- इंटीरियर कार्य
- बाहरी कार्य
- भूदृश्य
- केंद्रीकृत एयर कंडीशन सिस्टम
- पानी को रिसाइकिल करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
- पर्याप्त अग्नि सुरक्षा प्रणाली
- बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस)
- सीसीटीवी/अभिगम नियंत्रण (विनिर्दिष्ट क्षेत्र में बायोमैट्रिक उपकरण) और भौतिक सुरक्षा
- सौर ऊर्जा उपयुक्त स्थानों पर तैयार की गई
- पर्याप्त पार्किंग की जगह

प्रक्रिया क्षेत्र

- इंजीनियरिंग ब्लॉक
- कस्टमर केयर ब्लॉक
- प्रशासनिक ब्लॉक
- विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधा - प्रशिक्षण के लिए हेक्सावर्सिटी
- उपयोगिता ब्लॉक
- ट्रांजिट गेस्ट हाउस
- अत्याधुनिक संचार सुविधाएं
- पावर (पावर बैकअप के लिए सुविधाएं सहित)

गैर प्रक्रिया क्षेत्र

- खेल का मैदान
- बस बे
- स्विमिंग पूल
- शिशु देखभाल केंद्र

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

- घर के अंदर खेले जाने वाले खेल
- शॉपिंग आर्केड
- एटीएम
- मल्टी कुजीन फूड कोर्ट
- चिकित्सा सलाहकार
- व्यायामशाला
- कैंपस में 25 मीटर चौड़ी सड़क
- अखाड़ा

मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड

प्रसंस्करण क्षेत्र में की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियां:

बुनियादी ढांचे और का विकास और रखरखाव तथा प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाइयों द्वारा विशेष रूप से खपत और उपयोग की जाने वाली अन्य सुविधाओं के प्रावधान, अर्थात:

- स्थल का विकास
- चारदीवारी और आंतरिक संपर्क सड़कें
- कार्यालय की जगह
- बेचने की जगह
- टेलीकॉम और इंटरकनेक्टिविटी सहित अन्य संचार सुविधाएं
- जलपान गृह
- चिकित्सा केंद्र
- क्लब हाउस और व्यायामशाला सहित मनोरंजन सुविधाएं
- एटीएम और ऐसी अन्य सुविधाएं
- गंदा पानी साफ़ करने के संयंत्र
- वर्षा जल संचयन संयंत्र
- पावर (पावर बैक सुविधाओं सहित)
- वातानुकूलन
- पानी
- इमारतों के लिए अंदरूनी और फिट कार्य

श्यामाराजू एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

प्रसंस्करण क्षेत्र में की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियां:

बुनियादी ढांचे और का विकास और रखरखाव तथा प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाइयों द्वारा विशेष रूप से खपत और उपयोग की जाने वाली अन्य सुविधाओं के प्रावधान, अर्थात:

- आईटी/आईटीईएस इकाइयों की स्थापना के लिए कार्यालय/वाणिज्यिक स्थान
- सॉफ्टवेयर विकास खंड
- बेचने की जगह
- चारदीवारी और आंतरिक संपर्क सड़कें
- दूरसंचार और अंतर-कनेक्टिविटी सहित अन्य संचार सुविधाएं
- फूड कोर्ट्स और जिमनैजियम जैसे श्रमिकों के लिए सामान्य सुविधाएं
- गंदा पानी साफ़ करने के संयंत्र
- वर्षा जल संचयन संयंत्र / जल उपचार संयंत्र और सतह जल निकासी
- पावर (पावर बैकअप के लिए सुविधाएं सहित)
- पानी

गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियां:

सहायक अवसंरचना का विकास और रखरखाव और अन्य सुविधाओं का प्रावधान अर्थात:

- आवासीय परिसर / सेवा अपार्टमेंट
- क्लब हाउस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हेल्थ क्लब, बैंकिंग, एटीएम जैसी सामान्य सुविधाओं के साथ मनोरंजक ब्लॉक
- पार्किंग
- भूदृश्य

सिंटेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (चेन्नै)

प्रसंस्करण क्षेत्र में की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियां:

बुनियादी ढांचे और का विकास और रखरखाव तथा प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाइयों द्वारा विशेष रूप से खपत और उपयोग की जाने वाली अन्य सुविधाओं के प्रावधान, अर्थात:

- आईटी / आईटीईएस इकाइयों की स्थापना के लिए कार्यालय / वाणिज्यिक स्थान
- सॉफ्टवेयर विकास खंड
- चारदीवारी और आंतरिक संपर्क सड़कें
- दूरसंचार और अंतर-कनेक्टिविटी सहित अन्य संचार सुविधाएं
- कर्मचारी कैंटीन और फूड कोर्ट, मनोरंजक सुविधाएं
- पावर (पावर बैकअप के लिए सुविधाएं सहित)
- फव्वारे की तरह सतह भूनिर्माण फिक्चर्स सहित पानी

गैर-प्रक्रमण क्षेत्र में की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियां:

सहायक अवसंरचना का विकास और रखरखाव तथा अन्य सुविधाओं का प्रावधान अर्थात।

- गेस्ट हाउस/सर्विस अपार्टमेंट और पारगमन सुविधाएं
- क्लब हाउस
- खेल संकुल
- बैंकिंग, एटीएम जैसी सामान्य सुविधाएं
- गंदा पानी साफ़ करने के संयंत्र
- वर्षा जल संचयन संयंत्र / जल उपचार संयंत्र और सतह जल निकासी
- भूदृश्य

सिंटेल् इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (पुणे)

प्रसंस्करण क्षेत्र में की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियां:

बुनियादी ढांचे और का विकास और रखरखाव तथा प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाइयों द्वारा विशेष रूप से खपत और उपयोग की जाने वाली अन्य सुविधाओं के प्रावधान, अर्थात:

- आईटी/आईटीईएस इकाइयों की स्थापना के लिए कार्यालय/वाणिज्यिक स्थान
- सॉफ्टवेयर विकास खंड
- चारदीवारी और आंतरिक संपर्क सड़कें
- दूरसंचार और अंतर-कनेक्टिविटी सहित अन्य संचार सुविधाएं
- कर्मचारी कैंटीन और फूड कोर्ट, मनोरंजक सुविधाएं
- पावर (पावर बैकअप के लिए सुविधाएं सहित)
- फव्वारे की तरह सतह भूनिर्माण फिक्चर्स सहित पानी
- पार्किंग

गैर-प्रक्रमण क्षेत्र में की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियां:

सहायक अवसंरचना का विकास और रखरखाव और अन्य सुविधाओं का प्रावधान अर्थात:-

- गेस्ट हाउस/सर्विस अपार्टमेंट और पारगमन सुविधाएं
- क्लब हाउस
- खेल संकुल
- बैंकिंग, एटीएम जैसी सामान्य सुविधाएं
- गंदा पानी साफ़ करने के संयंत्र
- वर्षा जल संचयन संयंत्र/जल उपचार संयंत्र और सतह जल निकासी
- भूदृश्य

टैंगलिन डेवलपमेंट्स लिमिटेड

प्रसंस्करण क्षेत्र में की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियां:

बुनियादी ढांचे और का विकास और रखरखाव तथा प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाइयों द्वारा विशेष रूप से खपत और उपयोग की जाने वाली अन्य सुविधाओं के प्रावधान, अर्थात:

- साइट का विकास
- चारदीवारी और आंतरिक संपर्क सड़कें
- कार्यालय की जगह
- टेलीकॉम और इंटरकनेक्टिविटी सहित अन्य संचार सुविधाएं
- गंदा पानी साफ़ करने के संयंत्र
- वर्षा जल संचयन संयंत्र
- पावर (पावर बैक सुविधाओं सहित)
- वातानुकूलन
- पानी
- बेचने का स्थान
- इमारतों के लिए अंदरूनी और फिट कार्य

गैर-उपक्रम क्षेत्र में की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियां:

सहायक अवसंरचना का विकास और रखरखाव तथा अन्य सुविधाओं का प्रावधान अर्थात:-

- कैफेटेरिया और फूड कोर्ट
- क्लब हाउस और व्यायामशाला सहित मनोरंजन सुविधाएं
- सेवा अपार्टमेंट जैसी आवासीय सुविधाएं,
- कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे एटीएम, मेडिकल सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं
- क्रेच
- स्कूली शिक्षा
- हैलीपैड
- कैफे

ईओएन खराड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

अवसंरचना और अवसंरचना से जुड़ी सुविधाएं:

- इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए कार्यालय और व्यावसायिक परिसर जिसमें प्रसंस्करण क्षेत्र के भीतर आईटी/आईटीईएस इकाइयां/बीपीओ/बैंक एंड ऑपरेशंस शामिल हैं परंतु वह केवल शेल सुविधा और/या पूरी तरह से सुसज्जित कार्यालय स्थान/फैक्टरी असेंबली लाइन तक सीमित नहीं है।
- अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित आकार और संख्या के अनुसार गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में होटल/सेवा अपार्टमेंट/गेस्ट हाउस।
- रेस्तरां, कॉफी की दुकानें, कैंटीन और खानपान सुविधाओं सहित खाद्य सेवाएं
- गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यालय उपकरण, फर्नीचर, जनरल स्टोर, केमिस्ट आदि के लिए स्टोर सहित छोटे व्यवसाय उन्मुख खुदरा दुकान और सुविधा भंडार
- स्ट्रीट लाइटिंग, सिग्नल, साइनेज, होर्डिंग्स आदि के साथ सड़कें
- जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें, सीवेज लाइन, तूफान जल की निकासी वाली नालियां और उचित क्षमता के जल चैनल
- सीवेज और कचरा निपटान संयंत्र, पाइपलाइन और सीवेज और कचरा निपटान के लिए अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे।
- समृद्ध उपचार संयंत्र और पाइपलाइन और समृद्ध उपचार के लिए अन्य बुनियादी ढांचे।
- वित्त पोषण में लगी संस्थाओं के लिए बैंक और अन्य बुनियादी सुविधाएं।
- जिमनैजियम और अन्य फिटनेस गतिविधियां और संबंधित बुनियादी ढांचे को तैयार करना।
- बिजनेस सेंटर, कन्वेंशन हॉल, प्रशिक्षण केंद्र और अन्य सुविधाएं जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि।
- एटीएम
- डाकघर, माल और प्रलेखन के परिवहन के लिए कूरियर एजेंसियों और अन्य एजेंसियों हेतु कार्यालय।

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

- एसईजेड इकाइयों/एसईजेड के लिए व्यापार सहायक और सहायता सेवाओं के हेतु सुविधाएं।
- मनोरंजन सुविधाएं जैसे सभागार, स्क्रीनिंग रूम, सिविल सेंटर इत्यादि।
- कैप्टिव पावर प्लांट, गैस आधारित पावर जेनरेटिंग सेट, डीजल जेनरेटिंग सेट / स्टैंड-बाय जेनरेटिंग सेट्स, जिसमें स्टेट ग्रिड से क्वालिटी पावर की उपलब्धता के आधार पर औद्योगिक लोड को पूरा करने के लिए आवश्यक क्षमता के सेट सृजित करने और बैक-अप पावर के लिए अन्य अवसंरचनाएं शामिल हैं।
- इलेक्ट्रिकल, गैस और पीएनजी वितरण नेटवर्क जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक उप-स्टेशन, पाइपलाइन नेटवर्क आदि शामिल हैं।
- एयर कंडीशनिंग प्लांट। चिलर, कूलिंग टॉवर आदि
- टाउन प्लानिंग, बागवानी, पार्क, ग्रीन बेल्ट, लैंड स्केपिंग आदि।
- परिवहन बुनियादी ढांचा अर्थात् पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और अन्य ईंधन पंप।
- वाहन पार्किंग ब्लॉक
- माल के भंडारण के लिए गोदाम और अन्य बुनियादी ढांचे।
- सुविधाओं सहित आईटी अवसंरचना, दूरसंचार अवसंरचना, केबल और अन्य डेटा ट्रांसमिशन नेटवर्क की स्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क और टेलीफोन और ईपीएबीएक्स एक्सचेंज सहित बुनियादी ढांचे दूरसंचार तथा बहु विकल्प बैंडविड्थ सहित ऑप्टिकल फाइबर केबल सहित कई विकल्प बैंडविड्थ।
- एसईजेड के लिए केंद्रीय सुविधाएं जिनमें सॉफ्टवेयर विकास, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर यूनिट आदि की सुविधाएं शामिल हैं।
- स्प्रिंकलर्स, फायर और स्मोक डिटेक्टरों के साथ आग का पता लगाने और उसे नियंत्रित करने संबंधी प्रणालियां;
- प्रवेश और निकास स्थल पर तथा स्थल की परिधि में सुरक्षा कार्यालय, पुलिस पोस्ट, आदि।
- अनुसंधान एवं विकास केंद्र (गैर-प्रभावी और गैर-उत्सर्जन)
- क्लिनिक और चिकित्सा केंद्र,

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

- आईटी प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थान तथा केंद्र,
- पुस्तक की दुकान,
- बीमा,
- यात्रा डेस्क,
- किर्बी संरचना
- लिफ्ट, एलीवेटर और ऊर्ध्वाधर परिवहन,
- बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम
- गोंडोला प्रणाली
- परिचालन / रखरखाव / डेटा कक्ष

एसईजेड के भीतर बनाई गई सभी अवसंरचना और अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के लिए संचालन और रखरखाव गतिविधियां, जिनमें शामिल हैं -

- हाउसकीपिंग सेवाएं
- मरम्मत और रखरखाव
- सुरक्षा सुविधाएं
- निवासियों के कल्याण के हित में सामान्य नियंत्रण और प्रशासन
- इन्क्यूबेशन केंद्र सेवाएं
- विभिन्न इमारतों, परिसरों, अन्य सुविधाओं, जिनमें कार्पार्क, व्यापार केंद्र और भूनिर्माण तथा ग्रीन बेल्ट आदि शामिल हैं
- सभी अवसंरचना और अवसंरचना से जुड़ी सुविधाओं का सामान्य रखरखाव,
- एसी का संचालन और रखरखाव
- बिजली का संचालन और रखरखाव
- ठंडा पानी का संचालन और रखरखाव
- किर्बी संरचना का रखरखाव

डीएलएफ इंफोसिटी डेवलपर्स (चेन्नै) लिमिटेड

अवसंरचना और अवसंरचना संबंधी सुविधाओं का निर्माण तथा विकास करने के लिए:

- इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए कार्यालय और व्यावसायिक परिसर जिसमें प्रसंस्करण क्षेत्र के भीतर आईटी/आईटीईएस इकाइयां/बीपीओ/बैंक एंड ऑपरेशंस शामिल हैं परंतु वह केवल शेल सुविधा और/या पूरी तरह से सुसज्जित कार्यालय स्थान/फैक्टरी असेंबली लाइन तक सीमित नहीं है।
- अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित आकार और संख्या के अनुसार गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में होटल/सेवा अपार्टमेंट/गेस्ट हाउस।
- रेस्तरां, कॉफी की दुकानें, कैंटीन और खानपान सुविधाओं सहित खाद्य सेवाएं
- गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यालय उपकरण, फर्नीचर, जनरल स्टोर, केमिस्ट आदि के लिए स्टोर सहित छोटे व्यवसाय उन्मुख खुदरा दुकान और सुविधा भंडार
- स्ट्रीट लाइटिंग, सिग्नल, साइनेज, होर्डिंग्स आदि के साथ सड़कें
- जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें, सीवेज लाइन, तूफान जल की निकासी वाली नालियां और उचित क्षमता के जल चैनल
- सीवेज और कचरा निपटान संयंत्र, पाइपलाइन और सीवेज और कचरा निपटान के लिए अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे।
- समृद्ध उपचार संयंत्र और पाइपलाइन और समृद्ध उपचार के लिए अन्य बुनियादी ढांचे।
- वित्त पोषण में लगी संस्थाओं के लिए बैंक और अन्य बुनियादी सुविधाएं।
- जिमनैजियम और अन्य फिटनेस गतिविधियां और संबंधित बुनियादी ढांचे को तैयार करना।
- बिजनेस सेंटर, कन्वेंशन हॉल, प्रशिक्षण केंद्र और अन्य सुविधाएं जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि।
- एटीएम

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

- डाकघर, माल और प्रलेखन के परिवहन के लिए कूरियर एजेंसियों और अन्य एजेंसियों हेतु कार्यालय।
- एसईजेड इकाइयों/एसईजेड के लिए व्यापार सहायक और सहायता सेवाओं के हेतु सुविधाएं।
- मनोरंजन सुविधाएं जैसे सभागार, स्क्रीनिंग रूम, सिविल सेंटर इत्यादि।
- कैप्टिव पावर प्लांट, गैस आधारित पावर जेनरेटिंग सेट, डीजल जेनरेटिंग सेट / स्टैंड-बाय जेनरेटिंग सेट्स, जिसमें स्टेट ग्रिड से क्वालिटी पावर की उपलब्धता के आधार पर औद्योगिक लोड को पूरा करने के लिए आवश्यक क्षमता के सेट सृजित करने और बैक-अप पावर के लिए अन्य अवसंरचनाएं शामिल हैं।
- इलेक्ट्रिकल, गैस और पीएनजी वितरण नेटवर्क जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक उप-स्टेशन, पाइपलाइन नेटवर्क आदि शामिल हैं।
- एयर कंडीशनिंग प्लांट। चिलर, कूलिंग टॉवर आदि
- टाउन प्लानिंग, बागवानी, पार्क, ग्रीन बेल्ट, लैंड स्केपिंग आदि।
- परिवहन बुनियादी ढांचा अर्थात् पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और अन्य ईंधन पंप।
- वाहन पार्किंग ब्लॉक
- माल के भंडारण के लिए गोदाम और अन्य बुनियादी ढांचे।
- सुविधाओं सहित आईटी अवसंरचना, दूरसंचार अवसंरचना, केबल और अन्य डेटा ट्रांसमिशन नेटवर्क की स्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क और टेलीफोन और ईपीएबीएक्स एक्सचेंज सहित बुनियादी ढांचे दूरसंचार तथा बहु विकल्प बैंडविड्थ सहित ऑप्टिकल फाइबर केबल सहित कई विकल्प बैंडविड्थ।
- एसईजेड के लिए केंद्रीय सुविधाएं जिनमें सॉफ्टवेयर विकास, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर यूनिट आदि की सुविधाएं शामिल हैं।
- स्प्रिंकलर्स, फायर और स्मोक डिटेक्टरों के साथ आग का पता लगाने और उसे नियंत्रित करने संबंधी प्रणालियां;
- प्रवेश और निकास स्थल पर तथा स्थल की परिधि में सुरक्षा कार्यालय, पुलिस पोस्ट, आदि।
- अनुसंधान एवं विकास केंद्र (गैर-प्रभावी और गैर-उत्सर्जन)

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

- क्लिनिक और चिकित्सा केंद्र,
- आईटी प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थान तथा केंद्र,
- पुस्तक की दुकान,
- बीमा,
- यात्रा डेस्क,
- किर्बी संरचना
- लिफ्ट, एलीवेटर और ऊर्ध्वाधर परिवहन,
- बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम
- गोंडोला प्रणाली
- परिचालन / रखरखाव / डेटा कक्ष

एसईजेड के भीतर बनाई गई सभी अवसंरचना और अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के लिए संचालन और रखरखाव गतिविधियां, जिनमें शामिल हैं -

- हाउसकीपिंग सेवाएं
- मरम्मत और रखरखाव
- सुरक्षा सुविधाएं
- निवासियों के कल्याण के हित में सामान्य नियंत्रण और प्रशासन
- इन्क्यूबेशन केंद्र सेवाएं
- विभिन्न इमारतों, परिसरों, अन्य सुविधाओं, जिनमें कार्पार्क, व्यापार केंद्र और भूनिर्माण तथा ग्रीन बेल्ट आदि शामिल हैं
- सभी अवसंरचना और अवसंरचना से जुड़ी सुविधाओं का सामान्य रखरखाव,
- एसी का संचालन और रखरखाव
- बिजली का संचालन और रखरखाव
- ठंडा पानी का संचालन और रखरखाव

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

- किर्बी संरचना का रखरखाव

डीएलएफ इंफोसिटी

अवसंरचना और अवसंरचना से जुड़ी सुविधाओं का निर्माण और उनका विकास करने के लिए:

- इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए कार्यालय और व्यावसायिक परिसर जिसमें प्रसंस्करण क्षेत्र के भीतर आईटी/आईटीईएस इकाइयां/बीपीओ/बैक एंड ऑपरेशंस शामिल हैं परंतु वह केवल शेल सुविधा और/या पूरी तरह से सुसज्जित कार्यालय स्थान/फैक्टरी असेंबली लाइन तक सीमित नहीं है।
- अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित आकार और संख्या के अनुसार गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में होटल/सेवा अपार्टमेंट/गेस्ट हाउस।
- रेस्तरां, कॉफी की दुकानें, कैंटीन और खानपान सुविधाओं सहित खाद्य सेवाएं
- गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यालय उपकरण, फर्नीचर, जनरल स्टोर, केमिस्ट आदि के लिए स्टोर सहित छोटे व्यवसाय उन्मुख खुदरा दुकान और सुविधा भंडार
- स्ट्रीट लाइटिंग, सिग्नल, साइनेज, होर्डिंग्स आदि के साथ सड़कें
- जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें, सीवेज लाइन, तूफान जल की निकासी वाली नालियां और उचित क्षमता के जल चैनल
- सीवेज और कचरा निपटान संयंत्र, पाइपलाइन और सीवेज और कचरा निपटान के लिए अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे।
- समृद्ध उपचार संयंत्र और पाइपलाइन और समृद्ध उपचार के लिए अन्य बुनियादी ढांचे।
- वित्त पोषण में लगी संस्थाओं के लिए बैंक और अन्य बुनियादी सुविधाएं।
- जिमनैजियम और अन्य फिटनेस गतिविधियां और संबंधित बुनियादी ढांचे को तैयार करना।
- बिजनेस सेंटर, कन्वेंशन हॉल, प्रशिक्षण केंद्र और अन्य सुविधाएं जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि।
- एटीएम

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

- डाकघर, माल और प्रलेखन के परिवहन के लिए कूरियर एजेंसियों और अन्य एजेंसियों हेतु कार्यालय।
- एसईजेड इकाइयों/एसईजेड के लिए व्यापार सहायक और सहायता सेवाओं के हेतु सुविधाएं।
- मनोरंजन सुविधाएं जैसे सभागार, स्क्रीनिंग रूम, सिविल सेंटर इत्यादि।
- कैप्टिव पावर प्लांट, गैस आधारित पावर जेनरेटिंग सेट, डीजल जेनरेटिंग सेट / स्टैंड-बाय जेनरेटिंग सेट्स, जिसमें स्टेट ग्रिड से क्वालिटी पावर की उपलब्धता के आधार पर औद्योगिक लोड को पूरा करने के लिए आवश्यक क्षमता के सेट सृजित करने और बैक-अप पावर के लिए अन्य अवसंरचनाएं शामिल हैं।
- इलेक्ट्रिकल, गैस और पीएनजी वितरण नेटवर्क जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक उप-स्टेशन, पाइपलाइन नेटवर्क आदि शामिल हैं।
- एयर कंडीशनिंग प्लांट। चिलर, कूलिंग टॉवर आदि
- टाउन प्लानिंग, बागवानी, पार्क, ग्रीन बेल्ट, लैंड स्केपिंग आदि।
- परिवहन बुनियादी ढांचा अर्थात् पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और अन्य ईंधन पंप।
- वाहन पार्किंग ब्लॉक
- माल के भंडारण के लिए गोदाम और अन्य बुनियादी ढांचे।
- सुविधाओं सहित आईटी अवसंरचना, दूरसंचार अवसंरचना, केबल और अन्य डेटा ट्रांसमिशन नेटवर्क की स्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क और टेलीफोन और ईपीएबीएक्स एक्सचेंज सहित बुनियादी ढांचे दूरसंचार तथा बहु विकल्प बैंडविड्थ सहित ऑप्टिकल फाइबर केबल सहित कई विकल्प बैंडविड्थ।
- एसईजेड के लिए केंद्रीय सुविधाएं जिनमें सॉफ्टवेयर विकास, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर यूनिट आदि की सुविधाएं शामिल हैं।
- स्प्रिंकलर्स, फायर और स्मोक डिटेक्टरों के साथ आग का पता लगाने और उसे नियंत्रित करने संबंधी प्रणालियां;
- प्रवेश और निकास स्थल पर तथा स्थल की परिधि में सुरक्षा कार्यालय, पुलिस पोस्ट, आदि।
- अनुसंधान एवं विकास केंद्र (गैर-प्रभावी और गैर-उत्सर्जन)

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

- क्लिनिक और चिकित्सा केंद्र,
- आईटी प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थान तथा केंद्र,
- पुस्तक की दुकान,
- बीमा,
- यात्रा डेस्क,
- किर्बी संरचना
- लिफ्ट, एलीवेटर और ऊर्ध्वाधर परिवहन,
- बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम
- गोंडोला प्रणाली
- परिचालन / रखरखाव / डेटा कक्ष

एसईजेड के भीतर बनाई गई सभी अवसंरचना और अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के लिए संचालन और रखरखाव गतिविधियां, जिनमें शामिल हैं -

- हाउसकीपिंग सेवाएं
- मरम्मत और रखरखाव
- सुरक्षा सुविधाएं
- निवासियों के कल्याण के हित में सामान्य नियंत्रण और प्रशासन
- इन्क्यूबेशन केंद्र सेवाएं
- विभिन्न इमारतों, परिसरों, अन्य सुविधाओं, जिनमें कार्पार्क, व्यापार केंद्र और भूनिर्माण तथा ग्रीन बेल्ट आदि शामिल हैं
- सभी अवसंरचना और अवसंरचना से जुड़ी सुविधाओं का सामान्य रखरखाव,
- एसी का संचालन और रखरखाव
- बिजली का संचालन और रखरखाव
- ठंडा पानी का संचालन और रखरखाव

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

- किर्बी संरचना का रखरखाव

हरियाणा प्रौद्योगिकी पार्क

1. आईटी/आईटीईएस इकाइयों के लिए पूरी तरह से सेवित और सुसज्जित कार्यालय क्षेत्र।
2. अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित आकार / मात्रा के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में आवासीय परिसर।
3. प्रसंस्करण क्षेत्र में शामिल करने वाली सुविधाएं
 - टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश कोर्ट, बिलियर्ड्स, मिनी गोल्फ, टेबल टेनिस, बॉलिंग
 - व्यायाम स्विमिंग पूल, व्यायामशाला, स्पा सुविधाएं - सौना, स्टीम और जकूजी।
 - वीडियो पार्लर, मिनी थियेटर
 - अंतर्राष्ट्रीय फूड कोर्ट, रेस्तरां, रसोई और पेंट्री।
 - क्रेच, प्रशिक्षण कमरे, यात्रा और कार किराए पर लेने वाली एजेंसियां।
 - रिकॉर्डिंग और अनुवाद उपकरणों के साथ उच्च तकनीक ऑडियो और वीडियो सम्मेलन के साथ सम्मेलन क्षेत्र।
 - बैंकों, एटीएम, बीमा।
 - प्रशिक्षण और शैक्षिक क्षेत्र।
 - परिसर में उपयोग के लिए सामान/उत्पाद बेचने के लिए सुपर बाजार/दुकानें।
 - लाकर्स।
 - कला दीर्घा।
 - अंतर्राष्ट्रीय फ्लोरिस्ट।
 - बागवानी - अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गार्डन और कंजर्वेटरी।
 - पूजा करने की जगह।
 - मरम्मत की दुकानें।
 - लॉट्री/ड्राई क्लीनिंग सेवाएँ।
 - मेडिकल नर्सिंग क्षेत्र, प्रयोगशाला और पॉलीक्लिनिक्स।
 - कूरियर एजेंसी।

शामिल करने के लिए बुनियादी सुविधाएं:

- ऑटो पार्किंग सहित 1,650 वाहनों के लिए पार्किंग क्षेत्र।
- ईंधन संयंत्र, सौर और पवन ऊर्जा सहित बिजली संयंत्र।
- एचवीएसी संयंत्र।

- CO2 गैस ब्लैकेटिंग सुविधा के साथ सर्वर्स रूम।
- लिफ्ट मशीन रूम।
- पावर बैकअप - यूपीएस और डीजी सेट।
- सुरक्षा व्यवस्था और सी.सी.टी.वी.
- ऑडियोविजुअल और ध्वनिक प्रणाली।
- दूरसंचार और संचार प्रणाली, इंटरनेट, आईएसपी।
- अग्निशमन, जांच उपकरण।
- पेट्रोल / डीजल वितरण पंप।
- प्रभावी उपचार और जल उपचार संयंत्र।
- परियोजना के लिए आवश्यक कोई भी उपकरण यूएसए एलईईडी प्रमाणन के साथ "प्लेटिनम" रेटेड ग्रीन बिल्डिंग होना चाहिए।
- सुरक्षा अभिगम नियंत्रण प्रणाली और वीडियो निगरानी प्रणाली।
- किनारे चलने की सुविधा और लिफ्ट।
- डाक घर।
- कार लिफ्ट और ऑटो पार्किंग सिस्टम।
- फोटोवोल्टिक प्रकोष्ठ।
- एयर स्क्वर्स।
- एस्केलेटर।
- वाई फाई / वाई मैक्स।
- कंप्यूटर और डाटा केबलिंग।
- डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन - प्लाज्मा या अन्य।
- ड्रिप और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली।

हेवलेट पैकर्ड इंडिया सॉफ्टवेयर ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड

आधारभूत संरचना के विकास के संबंध में गतिविधियां

- भू संबंधी कार्य
- तैयार मिक्स कंक्रीट सहित ठोस कार्य।
- फॉर्म संबंधी कार्य
- पुनर्बलन
- चिनाई का काम
- पलस्तर का कार्य
- वाटर प्रूफिंग
- हार्ड फिनिशेज
- पेंटिंग का कार्य
- स्ट्रक्चरल ग्लेज़िंग और एल्यूमीनियम का कार्य
- एमएस कार्य
- जोड़ने का कार्य
- इंटीरियर कार्य
- सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य
- विद्युत कार्य
- एचवीएसी कार्य
- फायर हाइड्रेंट सिस्टम
- उपकरण और सेवाएं (लिफ्ट)
- ईपीएबीएक्स सिस्टम्स, यूपीएस यूनिट्स और डीजी सेट्स सहित अवसंरचना
- बाहरी विकास जैसे सड़क निर्माण, लैंड स्केपिंग का कार्य, बाहरी जल निकासी व्यवस्था और वर्षा जल संचयन।

अन्य अवसंरचना का विकास और रखरखाव तथा सुविधाओं का प्रावधान अर्थात:

- व्यायामशाला
- एटीएम
- कैंटीन/फूड कोर्ट
- इंटरकनेक्टिविटी सहित टेलीकॉम और अन्य संचार सुविधाएं
- जल शोधन और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र
- शक्ति
- पानी

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

- पार्किंग
- भूदृश्य

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

अनुलग्नक 17

डीएलएफ आकृत इंफो पार्क (पुणे) लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र

अधिकृत गतिविधियां - आस्थगित।

उप्पल हाउसिंग लिमिटेड

1. अवसंरचना और अवसंरचना संबंधी सुविधाओं का विकास और निर्माण करना :

अवसंरचना और अवसंरचना संबंधी सुविधाएं:

1.1 प्रसंस्करण क्षेत्र के भीतर सेवाओं के निर्यात के लिए कार्यालय और वाणिज्यिक परिसर/अन्य इकाइयों के लिए कार्यालय/वाणिज्यिक परिसर, जो केवल शेल सुविधा और/या पूरी तरह से सुसज्जित कार्यालय स्थान/फैक्टरी असेंबली लाइन तक सीमित नहीं है।

1.2 अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित आकार/मात्रा के अनुसार गैर प्रक्रमण क्षेत्र में होटल/सेवा अपार्टमेंट/गेस्ट हाउस जैसी आवश्यक आवास और आतिथ्य सुविधाएं

1.3 रेस्तरां, कॉफी की दुकानों, कैंटीन और खानपान सुविधाओं सहित खाद्य सेवाएं

1.4 व्यवसाय उन्मुख खुदरा और सुविधा स्टोर जिसमें गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यालय उपकरण, फर्नीचर, जनरल स्टोर, केमिस्ट के लिए स्टोर शामिल हैं।

1.5 स्ट्रीट लाइटिंग, सिग्नल, साइनेज, होर्डिंग्स आदि के साथ सड़कें

1.6 जल शोधन संयंत्र, जल आपूर्ति लाइन, सीवेज लाइन, तूफान जल की निकासी वाली नालियां और उचित क्षमता के जल चैनल

1.7 सीवेज और कचरा निपटान संयंत्र, पाइपलाइन और सीवेज और कचरा निपटान के लिए अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे।

1.8 प्रभावी उपचार संयंत्र और पाइपलाइन और प्रभावी उपचार के लिए अन्य बुनियादी ढांचे।

1.9 वित्त पोषण में लगी संस्थाओं के लिए बैंक और अवसंरचना संबंधी अन्य सुविधाएं।

1.10 व्यायामशालाएं और अन्य फिटनेस गतिविधियाँ और संबंधित बुनियादी ढांचे को तैयार करना।

1.11 बिजनेस सेंटर, कन्वेंशन हॉल, प्रशिक्षण केंद्र और अन्य सुविधाएं जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि।

1.12 एटीएम

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

- 1.13 गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में दुकानें
- 1.14 डाकघर, माल और प्रलेखन के परिवहन के लिए कूरियर एजेंसियों और अन्य एजेंसियों के कार्यालय।
- 1.15 कार पार्किंग
- 1.16 एसईजेड इकाइयों के लिए व्यापार सहायक और सहायता सेवाओं के लिए सुविधाएं।
- 1.17 मनोरंजन सुविधाएँ जैसे सभागार, स्क्रीनिंग रूम, सिविक सेंटर।
- 1.18 कैप्टिव पावर प्लांट, स्टेट ग्रिड से क्वालिटी पावर की उपलब्धता के आधार पर लोड को पूरा करने के लिए आवश्यक क्षमता के गैस आधारित पावर जेनरेटिंग सेट, डीजल जेनरेटिंग सेट/स्टैंड-बाय जेनरेटिंग सेट्स सहित पावर जनरेशन सुविधाएं।
- 1.19 बैक अप पावर के लिए अवसंरचना।
- 1.20 विद्युत, गैस और एलएनजी वितरण नेटवर्क जिसमें आवश्यक क्षमता के उप-स्टेशन, पाइपलाइन नेटवर्क शामिल हैं।
- 1.21 एयर कंडीशनिंग प्लांट। चिलर्स, कूलिंग टॉवर
- 1.22 टाउन प्लानिंग, बागवानी, पार्क, हरित क्षेत्र, लैंड स्केपिंग आदि।
- 1.23 परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचे जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और अन्य ईंधन पंप।
- 1.24 वाहन पार्किंग ब्लॉक
- 1.25 गोदाम, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा और सामानों के भंडारण के लिए अन्य बुनियादी ढांचे।
- 1.26 सुविधाओं सहित आईटी अवसंरचना, दूरसंचार अवसंरचना, केबल और अन्य डेटा ट्रांसमिशन नेटवर्क की स्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क और टेलीफोन और ईपीएबीएक्स एक्सचेंज सहित बुनियादी ढांचे दूरसंचार तथा बहु विकल्प बैंडविड्थ सहित ऑप्टिकल फाइबर केबल सहित कई विकल्प बैंडविड्थ।
- 1.27 आग और धुआं का पता लगाने वाली प्रणालियों के साथ आग का पता लगाने और बुझाने वाले प्रणालियां;
- 1.28 प्रवेश और निकास स्थल पर और स्थल की परिधि में सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि।

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

- 1.29 अनुसंधान एवं विकास केंद्र (गैर-प्रभावी और गैर-उत्सर्जन)
 - 1.30 क्लिनिक और चिकित्सा केंद्र,
 - 1.31 आईटी प्रशिक्षण और शैक्षिक संस्थान और केंद्र,
 - 1.32 बुक शॉप,
 - 1.33 बीमा,
 - 1.34 यात्रा डेस्क,
 - 1.35 मनोरंजन और मनोरंजन सुविधाएं
 - 1.36 व्यवसाय केंद्र
 - 1.37 किर्बी संरचना
 - 1.38 लिफ्ट, एलीवेटर और ऊर्ध्वाधर परिवहन,
 - 1.39 बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम
 - 1.40 ठंडा पानी
 - 1.41 परिचालन/रखरखाव/डाटा रूम
2. एसईजेड के भीतर सृजित सभी अवसंरचना और अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के लिए संचालन और रखरखाव गतिविधियां आयोजित करना, जिनमें शामिल हैं -
- 2.1 हाउसकीपिंग सेवाएं
 - 2.2 मरम्मत और रखरखाव
 - 2.3 सुरक्षा सेवाएं
 - 2.4 इन्क्यूबेशन केंद्र सेवाएं
 - 2.5 विभिन्न इमारतों, परिसरों, कार पार्क, फूड कोर्ट, व्यापार केंद्र, प्रसंस्करण क्षेत्र में मनोरंजक सुविधाओं और भूनिर्माण और हरित क्षेत्र आदि सहित अन्य सुविधाओं का प्रबंधन और रखरखाव।
 - 2.6 सभी अवसंरचना और अवसंरचना सुविधाओं का सामान्य रखरखाव,
 - 2.7 एसी का संचालन और रखरखाव

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

- 2.8 बिजली का संचालन और रखरखाव
- 2.9 ठंडा पानी का संचालन और रखरखाव
- 2.10 किर्बी संरचना का रखरखाव

रैमकी फार्मा सिटी (इंडिया) लिमिटेड

1. स्थल संबंधी अनापत्ति

2. निम्नलिखित अवसंरचना और अवसंरचना संबंधी सुविधाओं का निर्माण, विकास और रखरखाव करना।

- चाहरदीवारी।
- सिग्नल, साइनेज, होर्डिंग्स, फुटपाथ के साथ सड़कें
- बिजली वितरण और स्ट्रीट लाइटिंग
- जल भंडारण और आपूर्ति प्रणाली, ऊपरी भंडारण जलाशय, जल वितरण पाइपलाइन।
- प्रभावी पंपिंग स्टेशन और प्रभावी कन्वेन्स पाइपलाइन
- दूरसंचार सुविधाएं
- गोदाम
- कंटेनर टर्मिनल
- तूफान जल की निकासी
- भूनिर्माण (टाउन प्लानिंग, बागवानी, पार्क और हरित क्षेत्र)
- परिवहन से संबंधित बुनियादी ढांचा
- वाहन पार्किंग ब्लॉक
- प्रशासनिक ब्लॉक
- फायर हाइड्रेंट सिस्टम
- थोक सॉल्वेंट स्टोरेज सुविधा
- अनुमोदन समिति द्वारा यथा अनुमोदित केंद्रीकृत उपयोगिताओं का प्रावधान

क्वार्क सिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

प्रसंस्करण/गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र

- सम्मलेन केंद्र।
- खरीदारी की जगह।
- मनोरंजन और मनोरंजन की सुविधाएं।
- सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)।
- शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए क्रेच।
- कैफेटेरिया।
- खरीदारी।
- रेस्टोरेंट्स।
- भोजनालय।

श्रीराम प्रॉपर्टीज लिमिटेड

प्रसंस्करण क्षेत्र

- आईटी / आईटीईएस
- सॉफ्टवेयर विकास
- बीपीओ सेवाएं

गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र

- कैफ़ेटेरिया व्यायामशाला मनोरंजन सुविधाएं जैसे वीडियो आर्केड
- जल उपचार संयंत्र
- स्वच्छता उपचार संयंत्र सब-स्टेशन और सहायक उपकरण एचवीएसी सिस्टम बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम

फैब सिटी प्राइवेट लिमिटेड

प्रसंस्करण क्षेत्र

- इमारतों सहित बुनियादी ढांचे का विकास और रखरखाव।
- सॉफ्टवेयर विकास / आईटीईएस / डिजाइन ब्लॉक।
- रसोई के साथ कैंटीन / फूड कोर्ट।
- पार्किंग की जगह
- भूदृश्य
- पानी का भंडारण और वितरण
- एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट;
- अपशिष्ट यार्ड;
- डब्ल्यूटीपी टैंक;
- अग्निशमन उपकरण और जल हाइड्रेंट, स्पिंकलर सिस्टम
- कूलिंग टॉवर;
- मैकेनिकल स्मोक वेंटीलेशन
- संपीड़ित हवा प्रणाली
- केंद्रीय सफाई व्यवस्था
- बाहरी विद्युतीकरण,
- बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम,
- जेनरेटर
- ठंडा पानी की व्यवस्था
- ठंडा ब्राइन सिस्टम
- पाइनिंग वितरण
- कंप्यूटर सिस्टम और ईपीएबीएक्स
- बहु प्रभावी वाष्पीकरण संयंत्र,
- नाइट्रोजन उत्पादन संयंत्र,
- सॉल्वेंट रिकवरी क्षेत्र;
- वर्षा जल प्रणाली
- बिजली उत्पादन और वितरण
- एचवीएसी सिस्टम
- ईंधन भंडारण और वितरण (एसकेओ, एचएसडी, आदि)
- इंटरकनेक्टिविटी सहित दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं;
- गेट हाउस

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

- व्यायामशाला और स्विमिंग पूल और अन्य इनडोर और आउटडोर खेल सुविधाओं के साथ मनोरंजन ब्लॉक।
- सभागार
- पुस्तकालय
- सड़क
- बाड़ लगाना
- परिसर की दीवार
- कारखाने की इमारत
- प्रशासनिक भवन
- भंडारण और भंडारण भवन।

गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र

- इमारतों सहित बुनियादी ढांचे का विकास और रखरखाव।
- रसोई के साथ कैंटीन / फूड कोर्ट।
- पार्किंग की जगह
- भूदृश्य।
- बाहरी विद्युतीकरण
- कैंटीन और प्रशिक्षण केंद्रों के साथ सामान्य सेवा ब्लॉक
- सभागार
- पुस्तकालय
- गेट हाउस
- शिक्षा संस्थान
- अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित आकार / मात्रा के अनुसार होटल, अस्पताल, शिक्षा संस्थान जैसी सामाजिक सुविधाएं।

एसईजेड में निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित अन्य दैनिक गतिविधियां जैसे:

- सुरक्षा
- गृह व्यवस्था
- एसईजेड के रखरखाव और रखरखाव से जुड़ी अन्य गतिविधियां।

मेडिकैप्स आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड

सूचान प्रौद्योगिकी सेवाएं

- वेब सक्षम विरासत प्रणाली
- ई-कॉमर्स / विस्तारित उद्यम आवेदन।
- मानक आधारित अनुप्रयोग एकीकरण।
- ज्ञान प्रबंधन।
- अभिसरण अनुप्रयोग।

सॉफ्टवेयर उत्पाद

- उभरते "सिल्वर"
- उत्पादीकरण
- उपकरणों के नियंत्रण के लिए सॉफ्टवेयर

आईटी समर्थित सेवाएं

- एचआर सेवाएं
- दूरस्थ ग्राहक बातचीत
- डेटा खोज, एकीकरण और विश्लेषण
- उभरती हुई और डिजाइन सेवाएं

ई-बिजनेस

- घरेलू व्यापार-से-व्यवसाय
- एनआरआई उन्मुख व्यापार-से-व्यवसाय

आईटी समर्थित बायो इंजीनियरिंग को सक्षम बनाया

स्वास्थ्य संबंधी आईटी सेवाएं

मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन और रिकॉर्डिंग सेवाएं

आईटी समर्थित कानूनी सेवाएं

आईटी समर्थित इंस्ट्रुमेंटेशन और इंजीनियरिंग सेवाएं :

एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक अवसंरचना सुविधाएं और इसमें औद्योगिक, व्यावसायिक और सामाजिक सुविधाएं शामिल हैं जैसे :

- सड़कों का विकास - प्राथमिक और माध्यमिक
- सीवरेज और अपशिष्ट सुविधाओं का विकास
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं
- जल निकासी व्यवस्था
- विद्युतीकरण
- बिजली, गैस और ऊर्जा के अन्य रूपों का सृजन और वितरण
- भूदृश्य
- उत्कृष्ट दूरसंचार कनेक्टिविटी
- केंद्रीकृत डेटा और वॉयस ट्रांसमिशन नेटवर्क
- सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क
- चाहरदीवारी
- अलवणीकरण संयंत्र सहित पानी की आपूर्ति
- स्वच्छता की सुविधा
- उच्च गुणवत्ता 'रेडी टू मूव' सौंदर्यपूर्ण कार्य स्थान
- डीजी बैकअप के साथ बिजली की निर्बाध गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति
- संरचित केबलिंग
- केंद्रीकृत एयर कंडीशनर
- अग्नि से बचाव और सुरक्षा
- लिफ्ट
- पर्याप्त पार्किंग
- सड़क प्रकाश
- प्रचालन रखरखाव
- सूचना केंद्र
- इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और अन्य के लिए सेवा केंद्र
- केंद्रीकृत प्लास्टिक मोल्डिंग और फाइबरग्लास मोल्डिंग सुविधाएं
- केंद्रीय जल घर / स्टोर
- परीक्षण प्रयोगशालाएं
- आईटी हार्डवेयर के लिए पीसीबी की सुविधा
- पैकिंग सामग्री उद्योग - कागज, प्लास्टिक, लौह और अलौह धातु
- बीमा कंपनियों के कार्यालय
- सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
- अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित आकार के अनुसार अस्पताल

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

- कन्वेंशन और व्यापार केंद्र
- काफ़ीहाउस
- अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित आकार के अनुसार गेस्ट हाउस और रेस्तरां
- शैक्षणिक संस्थान - स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, जो अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित आकार के अनुसार हों।
- ऐसे शॉपिंग मॉल, गोल्फ कोर्ट, टेनिस कोर्ट, सोशल क्लब, सभागार, हेल्थ क्लब जैसे आराम, मनोरंजन, खेल और मनोरंजन की सुविधाएं।
- अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित आकार / मात्रा के अनुसार आवासीय और व्यावसायिक परिसर
- यात्रा और कूरियर एजेंसियां
- बैंकिंग
- पुस्तकालय
- बाल देखभाल केंद्र
- वृद्ध व्यक्तियों का देखभाल केंद्र
- बगीचा

सिपकॉट/ मोटोरोला

प्रसंस्करण क्षेत्र

इमारतों सहित बुनियादी ढांचे का विकास और रखरखाव।

- सॉफ्टवेयर विकास / आईटीईएस / डिजाइन ब्लॉक।
- रसोई के साथ कैंटीन / फूड कोर्ट
- पार्किंग की जगह
- भूदृश्य
- पानी का भंडारण और वितरण
- एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट;
- अपशिष्ट यार्ड;
- डब्ल्यूटीपी टैंक;
- अग्निशमन उपकरण और जल हाइड्रेंट, स्प्रींकलर सिस्टम
- कूलिंग टॉवर;
- मैकेनिकल स्मोक वेंटीलेशन
- संपीड़ित हवा प्रणाली
- केंद्रीय सफाई व्यवस्था
- बाहरी विद्युतीकरण,
- बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम,
- जेनरेटर
- ठंडा पानी की व्यवस्था
- ठंडा ब्राइन सिस्टम
- पाइनिंग वितरण
- कंप्यूटर सिस्टम और ईपीएबीएक्स
- बहु प्रभावी वाष्पीकरण संयंत्र,
- नाइट्रोजन उत्पादन संयंत्र,
- सॉल्वेंट रिकवरी क्षेत्र;
- वर्षा जल प्रणाली
- बिजली उत्पादन और वितरण
- एचवीएसी सिस्टम
- ईंधन भंडारण और वितरण (एसकेओ, एचएसडी, आदि)
- इंटरकनेक्टिविटी सहित दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं;
- गेट हाउस

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

- व्यायामशाला और स्विमिंग पूल और अन्य इन्डोर और आउटडोर खेल सुविधाओं के साथ मनोरंजन ब्लॉक।
- सभागार
- पुस्तकालय
- सड़क
- बाड़ लगाना
- कारखाने की इमारत
- प्रशासनिक भवन

गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र

- इमारतों सहित बुनियादी ढांचे का विकास और रखरखाव।
- रसोई के साथ कैंटीन / फूड कोर्ट।
- पार्किंग की जगह
- भूदृश्य।
- बाहरी विद्युतीकरण
- कैंटीन और प्रशिक्षण केंद्रों के साथ सामान्य सेवा ब्लॉक
- सभागार
- पुस्तकालय
- गेट हाउस
- शिक्षा संस्थान
- अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित आकार के अनुसार होटल, अस्पताल, शिक्षा संस्थान जैसी सामाजिक सुविधाएं

एसईजेड में निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित अन्य दैनिक दिनचर्या की गतिविधियां जैसे:

- सुरक्षा
- गृह व्यवस्था
- एसईजेड के रखरखाव और रखरखाव से जुड़ी अन्य गतिविधियां।

परिशिष्ट I

8 अगस्त, 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक के आस्थगित / वापस लिए गए आवेदन आस्थगित :

सूची 6ए:

क्र.सं.	कार्यसूची मद सं.	डेवलपर	स्थान	उत्पाद	क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	1	सेरेन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	ऐरोली, जिला ठाणे, महाराष्ट्र	आईटी / आईटीईएस	14.07
2	3	के. रहेजा. कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	पोचराम, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश	आईटी / आईटीईएस	26.71
3	9	शापोरजी पलॉजी एंड कंपनी लिमिटेड	ग्राम फुर्सुंगी, तालुका हवेली, पुणे, महाराष्ट्र	आईटी / आईटीईएस	15.79
4	10	डीएलएफ लिमिटेड	सेक्टर 30, डीएलएफ सिटी, गुडगांव, हरियाणा	आईटी / आईटीईएस	12.14

सूची 6ख:

क्र.सं.	कार्यसूची मद सं.	डेवलपर	स्थान	क्षेत्र	क्षेत्र (हेक्टेयर)
5	2	इतिना प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड	शेरलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश	आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर	10
6	3	मैसर्स डीएलएफ कॉमर्शियल डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	आईटी / आईटीईएस	10
7	6	आकांक्षा इस्टेट्स प्रा. लिमिटेड	खेड़की माजरा, गुडगांव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	ITES सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर	24.89
8	7	अलौकिक कंस्ट्रक्शंस प्रा. लिमिटेड	गडोली, कलान, गुडगांव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	आईटी / आईटीईएस	10.15
9	8	इंडियन स्टील	भुज, गुजरात	फ्लैट स्टील	101

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

		कॉर्पोरेशन लि		उत्पाद	
10	10	पसुपति एसपीजी और डब्ल्यूवीजी लिमिटेड	ग्राम कापड़ीवास (धारुहेड़ा) जिला रेवाड़ी, हरियाणा	आईटी / आईटीईएस	19
11	11	मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी।	गुड़गांव (हरियाणा)	आईटी / आईटीईएस	12.54
12	12	बैंटेक्स टावर्स प्रा. लिमिटेड	रोजे का गुर्जर, जिला गुड़गांव (गुड़गांव)	मल्टी सर्विसेज	168
13	14	बागमने डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड	रमन नगर, केआर पुरम, बैंगलोर उत्तर, कर्नाटक	आईटी / आईटीईएस	15.5
14	15	सलारपुरिया प्रोपर्टीज प्रा. लिमिटेड	सोननहल्ली गांव, केआर पुरमा होबली, बैंगलोर ईस्ट तालुक	आईटी / आईटीईएस	14.54
15	17	बागमने कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	महेदेवपुरा, केआर पुरम, बैंगलोर उत्तर, कर्नाटक	आईटी / आईटीईएस	12
16	18	करले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स	नागवारा गाँव, बैंगलोर उत्तरी तालुक	आईटी / आईटीईएस बीपीओ	11.25
17	21	सिटी पार्क प्रा. लिमिटेड	गहुंजे, तालुका हवेली, जिला पुणे	इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी / आईटीईएस	30
18	22	रामटेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि.	रायगढ़, महाराष्ट्र	एफटीडब्ल्यूजेड	44.5
19	23	एमआईडीसी	अंबरनाथ, जिला ठाणे, महाराष्ट्र	आईटी / आईटीईएस	16.5
20	24	बंबई औद्योगिक निगम	माहुल, मुंबई	आईटी / आईटीईएस	12
21	26	मैसर्स डीएलएफ आकृति इंफोपार्क, (पुणे) लिमिटेड	पुणे (महाराष्ट्र)	आईटी / आईटीईएस	24
22	28	मैसर्स एनएमएसईजेड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (औपचारिक रूप से सिडको)	नवी मुंबई	मल्टी प्रोडक्ट	1250
23	29	श्री समैया प्रा. लिमिटेड	तालुका दापोली, जिला. रत्नागिरी, महाराष्ट्र	बहु उत्पाद	1600
24	32	एमआईडीसी	जिला पुणे, महाराष्ट्र	वस्त्र उद्योग	101

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

25	33	राजस्थान विस्फोटक और रसायन लिमिटेड	धौलपुर, राजस्थान	ऑटो घटक और सामग्री	100
26	35	राजस्थान विस्फोटक और रसायन लिमिटेड	धौलपुर, राजस्थान	इंजीनियरिंग और उपकरण।	100
27	36	राजस्थान विस्फोटक और रसायन लिमिटेड	धौलपुर, राजस्थान	हस्तशिल्प	100
28	37	राजस्थान विस्फोटक और रसायन लिमिटेड	धौलपुर, राजस्थान	आईटी / आईटीईएस	35
29	38	राजस्थान विस्फोटक और रसायन लिमिटेड	धौलपुर, राजस्थान	चमड़े के सामान	100
30	39	राजस्थान विस्फोटक और रसायन लिमिटेड	धौलपुर, राजस्थान	स्टोन और स्टोन उत्पाद	100
31	40	राजस्थान विस्फोटक और रसायन लिमिटेड	धौलपुर, राजस्थान	वस्त्र और वस्त्र	100
32	41	जे.मैटेडे ईको पार्क प्रा. लिमिटेड	मन्नुर गाँव, श्रीपेरमबदूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	एफटीडब्ल्यूजेड	40
33	44	अनुष इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड	पेयानूर	ज्ञान आधारित एसईजेड	10.809
34	46	एसटी. माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड	प्लॉट नंबर 1, नॉलेज पार्क- III, ग्रेटर नोएडा, यूपी	आईटी / आईटीईएस	10.12

अनुलग्नक 6 ग:

क्र.सं.	कार्यसूची मद सं.	डेवलपर	स्थान	उत्पाद	क्षेत्र (हेक्टेयर)
35	1	आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी)	मुलुगु मंडल तालुक, करकपाटला गांव मेडक जिला, आंध्र प्रदेश	बायोटेक	40.47
36	7	इंटरनेशनल बायोटेक पार्क लि.	हिंजावाड़ी, पुणे	बायोटेक	13
37	5	एस्सार सुवाली सेज लिमिटेड	सर्वेक्षण संख्या 446 / ए मोजे सुवाली, तालुका चोर्यासी, जिला सूरत, गुजरात	विद्युत	180

38	13	एनफील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	कल्याणी, नादिया, पश्चिम बंगाल	फार्मास्युटिकल	160
----	----	----------------------------------	-------------------------------	----------------	-----

सूची 6घ:

क्र.सं.	कार्यसूची मद सं.	डेवलपर	स्थान	उत्पाद	क्षेत्र (हेक्टेयर)
38	3	ब्राहमणी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	ममीदीपल्ली गांव, सरोर्ननगर, मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश	आईटी / आईटीईएस	60.70
39	2	इंदू टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड	कांच इमरत रविर्याल गांव, महेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश	आईटी / आईटीईएस	60.70
40	10	चंडीगढ़ प्रशासन	चंडीगढ़, हरियाणा	आईटी / आईटीईएस	42.49
41	30	अनुष इन्फ्रास्ट्रक्चर	पयानूर, तमिलनाडु	आईटी / आईटीईएस	40.56
42	23	शापूरजी पलोनजी एंड कंपनी लिमिटेड	नागपुर, महाराष्ट्र	आईटी / आईटीईएस	40
43	27	सुखमणि टावर्स प्राइवेट लिमिटेड	निनेपुर और जवाहरपुर, पंजाब	आईटी / आईटीईएस	28.33
44	25	फेरानी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड / ओजोन डेवलपर्स	मुंबई, महाराष्ट्र	आईटी / आईटीईएस	27.73
45	16	दिव्यश्री इन्फ्रास्ट्रक्चर	बेलंदूर अमनी केन, ऑफ एयरपोर्ट रोड, बेंगलोर, कर्नाटक	आईटी / आईटीईएस	20.234
46	11	बिजनेस पार्क टाउन प्लानर्स लिमिटेड	ग्राम बसई, गुड़गांव, हरियाणा	आईटी / आईटीईएस	20.23
47	17	इतिना प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	बेंगलोर, कर्नाटक	आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर	15.732
48	28	सिंघल एक्सपोर्ट्स	जयपुर, राजस्थान	आईटी / आईटीईएस	12.14
49	6	टॉपनोट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	उत्पल औद्योगिक विकास क्षेत्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	आईटी / आईटीईएस	11.735

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

50	12	अंसल प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	गांव बादशाहपुर, गुड़गांव, हरियाणा	आईटी / आईटीईएस	10.93
51	32	अरुण एक्सेलो इन्फ्रा प्रा. लिमिटेड	कांचीपुरम, तमिलनाडु	आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर	10.93
52	33	प्लैटिनम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	नवलूर, चेन्नई, तमिलनाडु	हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर	10.57
53	19	गोपालन एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	व्हाइटफील्ड, बेंगलोर, कर्नाटक	सॉफ्टवेयर विकास / होटल / सेवा अपार्टमेंट / मनोरंजन सुविधा	10.5
54	34	ईटीए टेक्नोपार्क प्रा. लिमिटेड	ओल्ड महाबलीपुरम रोड, चेन्नई	आईटी / आईटीईएस	10.37
55	7	एमार हिल्स टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड	रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश	आईटी / आईटीईएस	10.33
56	8	नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	सेरीलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश	आईटी / आईटीईएस	10.218
57	38	ओएसई इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	प्लॉट नंबर 001, ब्लॉक सी, सेक्टर 67, नोएडा, उत्तर प्रदेश	आईटी	10.12
58	9	यूनिटेक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लि.	मंडल-मलकजगिरी, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश	आईटी / आईटीईएस	10
59	20	यूनिटेक रियल्टी डेवलपर्स लि।	गांव चन्ना सांद्रा, महादेव पुरा, सीएमसी क्षेत्र, व्हाइटफील्ड, बेंगलोर, कर्नाटक	आईटी / आईटीईएस	10
60	26	मैराथन रियल्टी लिमिटेड	पनवेल, महाराष्ट्र	आईटी / आईटीईएस	10
61	35	यूनिटेक इन्फोपार्क लि.	गांव नालंबक्कम, तालुक चेंगलपुट, कांचीपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु	आईटी / आईटीईएस	10
62	39	आरसी इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	ग्रेटर नोएडा, यूपी	आईटी / आईटीईएस	10

सूची 6 ड:

क्र. सं.	कार्यसूची मद सं.	डेवलपर	स्थान	उत्पाद	क्षेत्र (हेक्टेयर)
63	2	नताशा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट लि.	पानीपत, हरियाणा	बहु उत्पाद	1000
64	3	बिजनेस पार्क टाउन प्लानर्स लिमिटेड	पलवल, फरीदाबाद	बहु-उत्पाद	1011.69
65	4	बॉम्बे एसईजेड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड	तालुका - उरण, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र	बहु उत्पाद	3590.5
66	6	डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड	हिंदूपुर, आंध्र प्रदेश	बहु उत्पाद	1012
67	9	इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	अंजर तालुका, जिला भुज, गुजरात	बहु उत्पाद	1011.71
68	10	संचुरी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	चिकबल्लापुर, कोलार जिला, एनएच 7, बैंगलोर चिककाबल्लापुर रोड, कर्नाटक पर	बहु उत्पाद	1011.714
69	11	ईस्ट एशियाटिक इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	इंदौर जिला, मध्य प्रदेश	बहु उत्पाद	1214
70	12	डीएलएफ लिमिटेड	परादीप, उड़ीसा	बहु उत्पाद	1012
71	16	लेकलैंड विलेज प्राइवेट लिमिटेड	दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल	बहु उत्पाद	1800

सूची 6च:

क्र.सं.	कार्यसूची मद सं.	डेवलपर	स्थान	उत्पाद	क्षेत्र (हेक्टेयर)
72	5	इंटरनेशनल पैनेसिया लिमिटेड	गढ़ोली कलां, गुडगांव, एनसीआर, दिल्ली	जैव प्रौद्योगिकी	10.15
73	22	मल्होत्रा लैंड डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	लुधियाना, पंजाब	इंजीनियरिंग उद्योग	121.41
74	14	रुचि स्ट्रिप्स लिमिटेड	धार, मध्य प्रदेश	फ्लैट स्टील उत्पादों	106

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

75	30	मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र प्रा. लिमिटेड	ग्रेटर नोएडा	एफटीडब्ल्यूजेड	80
76	15	ग्रेट ईस्टर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन प्रा. लिमिटेड	सांवर तहसील, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश	आईटी	100
77	32	रिपल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड	ताज एक्सप्रेस हाईवे, नोएडा	आईटी / आईटीईएस	10
78	33	आईटी इन्फ्रा सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	नोएडा, उत्तर प्रदेश	आईटी / आईटीईएस	10
79	37	एशियन गेटवे लिमिटेड	24 परगना, राजरघाट, पश्चिम बंगाल	आईटी / आईटीईएस	160
80	39	टीसीजी रिफाइनरीज लिमिटेड	हल्दिया, पश्चिम बंगाल	रिफाइनरीज	1000
81	25	पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लि.	अमृतसर, पंजाब	इंगित किया जाना है।	-
82	अनुपूरक कार्यसूची का बिंदु सं. 1	मैसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड	गुडगांव-सोहना रोड, गुडगांव, हरियाणा (पहले दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर)	आईटी / आईटीईएस	46.13 (पहले 10.121 हेक्टेयर)

मद सं. 5 से आस्थगित मामले

क्र.सं.	कार्यसूची मद सं.	डेवलपर	स्थान	उत्पाद	क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	5	ब्रॉडवे इंटीग्रेटेड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	तथागत, पुणे	आईटी / आईटीईएस	10.55
2	5	मुथा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	लोहेगांव हवाई अड्डा, पुणे	आईटी / आईटीईएस	14.95

वापस लिए गए मामले:

1	9 (6ग)	विराज प्रोफाइल लिमिटेड	ग्राम आम वाड़ा तहसील, जिला ठाणे, महाराष्ट्र	कपड़ा और परिधान	120
---	--------	------------------------	---	-----------------	-----

दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आयोजित एसईजेड अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

2	27 (6च)	पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड	अजमेर-ब्यावर रोड, राजस्थान	रत्न और आभूषण	10.11
3	29 (6घ)	ओमेक्स इन्फोटेक सिटी डेवलपर्स लिमिटेड	ओमेक्स शहर, जयपुर-अजमेर रोड, सरमपुरा गांव, जयपुर (बड़का बालाजी मंदिर के नजदीक)	आईटी	12
4	13 (6च)	यूनाइटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर	इंदौर, मध्य प्रदेश	आईटी / आईटीईएस	20.25
